कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) वन भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रमांक/एफ-5/1253/E-file 0330/2025/ दिनांक- ई साइन

प्रेषकः-

एच. एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड नं; 3, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल ।

विषयः- बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत कान्द्रीकला से कटटीपार तक पहुंच मार्ग निर्माण हेतु 4.63 हेक्टेयर (Out of total of 7.47 ha, except 2.84 ha of forest land for which Wildlife clearance is also applicable) संरक्षित वनभूमि महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत। (FP/MP/ROAD/155493/2022)

संदर्भः-भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्रमांक 6-एपीआर 019/2023-बीएचओ/ दिनांक 05.11.2024

--0--

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने विषयांकित प्रकरण की प्रथम चरण सैद्धांतिक सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई थी। सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार हैः-

A- Conditions which need to be complied prior to handling over of forest land by the State Forest Department

1- शर्त क्रमांक (1) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा प्राप्त गैर वनभूमि पर तैयार वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि रूपये 4971916/- ऑनलाईन कैम्पा मद में दिनांक 17.04.2025 से जमा की जा चुकी है।

2- शर्त क्रमांक (2) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वन विभाग के नाम हस्तांतरण एवं नामान्तरण कराया जा चुका है। पालन प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

3- शर्त क्रमांक (3) के पालन में प्रकरण में प्राप्त गैर वनभूमि 8.00 हेक्टेयर भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 में दिनांक 16.05.2025 को अधिसूचित की जा चुकी है।

4- शर्त क्रमांक (4) के पालन में दुगने बिगड़े वनक्षेत्र 39.00 हेक्टेयर पर एकजाई से 05 प्रकरणों की राशि रूपये 16216427/- ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक/ FP/MP/ROAD/156107/2022 कैम्पा मद में दिनांक 04.06.2024 से जमा की जा चुकी है।

5- शर्त क्रमांक (5) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि रुपये 9177568/- ऑनलाईन कैम्पा मद में दिनांक 17.04.2025 से जमा की जा चुकी है।

6- शर्त क्रमांक (6) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा नेट प्रजेण्ट वैल्यू, मार्ग के किनारे- किनारे रोपण की राशि एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की समस्त राशियां कैम्पा मद में दिनांक 17.04.2025 एवं दिनांक 04.06.2024 से जमा कराई जा चुकी है।

7- शर्त क्रमांक (7) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वनाधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर, बालाघाट का प्रमाण पत्र क्रमांक/2191 दिनांक 08.06.2023 प्रस्तुत किया गया है, जो ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड है।

8- शर्त क्रमांक (8) के पालन में आवेदक संस्था द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के पत्र दिनांक 13.01.2025 में अधिरोपित शर्तों के पालन में 2 प्रतिशत प्रोजेक्ट कॉस्ट की राशि मध्यप्रदेश टाइगर फाउण्डेशन सोसायटी के खाते में जमा की जा चुकी है।

9- शर्त क्रमांक (9) के पालन में आवेदक संस्था द्वारा अवगत कराया है कि VC के माध्यम से समीक्षा बैठक में अवगत कराया गया था कि विद्युत लाईन काफी उचाई में है, NOC की आवश्यकता नहीं है। इस शर्त को विलोपित करने का कष्ट करें।

10- शर्त क्रमांक **(10)** के पालन में वन्यप्राणी अनुमति प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन यजीव अभिरक्षक के पत्र क्रमांक/**432** दिनांक **13.01.2025** से प्रदान की गई है, जो कि ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड है।

11- शर्त क्रमांक **(11 a)** के पालन में सड़क के किनारे-किनारे रोपण की राशि रू. 5682820/- ऑनलाईन कैम्पा मद में दिनांक **17.04.2025** को जमा किया जा चुका है, रोड साइड प्लांटेशन स्कीम संलग्न है।

12- शर्त क्रमांक **(11 b)** के पालन में सड़क के किनारे-किनारे रोपण की राशि ऑनलाईन कैम्पा मद में दिनांक **17.04.2025** को जमा किया जा चुका है।

13- शर्त क्रमांक **(12)** के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र ऑनलाईन पोर्टल में पालन प्रतिवेदन के साथ अपलोड किया गया है।

14- शर्त क्रमांक **(13)** के पालन में व्यपवर्तित वनक्षेत्र एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण की KML file e-green watch पोर्टल में अपलोड किया गया है, जिसका ID no. 55482 है।

15- शर्त क्रमांक (14) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

16- शर्त क्रमांक (15) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन पोर्टल में अपलोड कर दिया गया है।

B- Conditions which neet to be strictly complied on field after handling over of forest land to the User Agency by the Stae Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval:

1- शर्त क्रमांक (1) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

2- शर्त क्रमांक (2) के पालन में वैकल्पिक वृक्षारोपण भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार वन मण्डल अधिकारी द्वारा कराया जावेगा।

3- शर्त क्रमांक (3) के पालन में दुगने बिगड़े वनक्षेत्र में वैकल्पिक वृक्षारोपण भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार वन मण्डल अधिकारी द्वारा कराया जावेगा।

4- शर्त क्रमांक (4) के पालन में Additional NPV का वचनपत्र ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड कर दिया गया है।

5- शर्त क्रमांक (5) एवं (6) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

6- शर्त क्रमांक (7) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा आवगत कराया है कि मार्ग के दोनों ओर पूर्व से वृक्ष हैं, वृक्षारोपण किया जाना संभव नहीं है, आवेदक संस्थान से राशि जमा करा ली गई है।

7- शर्त क्रमांक (8) से (17) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन पूर्ण हो गया है। कृपया प्रकरण की अंतिम औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

Digitally signed by
Hari Shankar Mohanta
Date: 06-06-2025
17:20:11

(एच.एस. मोहन्ता)

प्रतिलिपिः-

1- मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), बालाघाट वृत्त, बालाघाट, मध्यप्रदेश।

2- वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, दक्षिण बालाघाट, मध्यप्रदेश।

3- महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, आर.टी.ओ. ऑफिस के पास, सिविल लाईन, बालाघाट, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

भारत सरकार /GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल/ REGIONAL OFFICE, BHOPAL
Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar,
BHOPAL – 462016 (M.P.)
TEL. 0755-2466525 E-mail: rowz.bpl-mef@nic.in

क्रमांक 6-एमपीआर 019/2023-बीएचओ/ दिनांक 05/10/2024

प्रति,

प्रधान सचिव (वन)
मध्यप्रदेश शासन,
वल्लभ भवन, भोपाल ।

विषय: बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत कान्द्रीकला से कट्टीपार तक पहुच मार्ग निर्माण हेतु 4.63 हेक्टेयर (out of total of 7.47 ha, except 2.84 ha of forest land for which Wildlife clearance is also applicable) संरक्षित वनभूमि महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को उपयोग पर देने बाबत (Online Proposal No. FP/MP/Road/155493/2022)

Sir,

This refers to letter Nos. F-5/1253/2023/10-11/1905 dated 12/05/2023, 4165 dated 15/09/2023, 1693 dated 20/03/24, 3357 dated 26/06/24 and 4815 dated 11/09/24 PCCF/APCCF (LM) Nodal Officer, Govt. of Madhya Pradesh on the above mentioned subject seeking prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change under section 2 of the Forest (Conservation) Act, 1980.

After due consideration of the proposal of the State Government and on the decision of Regional Empowered Committee in its 10th meeting of 2024 on 08/10/2024, "in-principle" **approval** of the Central Government, is hereby conveyed for diversion of 4.63 ha (out of total of 7.47 ha, except 2.84 ha of forest land for which Wildlife clearance is also applicable) Protected Forest land for construction of road from Kandrikala to Kattipar Road under RCPLWEA Scheme in favour of General Manager, Madhya Pradesh Rural Road Development Authority, PIU-1 in Balaghat District of Madhya Pradesh, subject to following conditions and stipulations:

A. Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department

(1) Cost of compensatory afforestation on the 8.00 ha non-forest land at prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provisions for anticipated cost increase for the works scheduled for subsequent years.

(2) The non-forest land *shall be transferred and mutated in favour of State Forest department and documents shall be submitted.*

(3) The non-forest land *which is transferred and mutated in favour of the State Forest Department for the purpose of compensatory afforestation shall be declared as Reserved Forest under Section-4 or Protected Forest under Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the State Forest Act. A Copy of PF/RF notification may be submitted in Stage-I compliance report.*

(4) Cost of compensatory afforestation on the 39.00 ha consolidated degraded forest land at prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including the cost of

survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provisions for anticipated cost increase for the works scheduled for subsequent years.

(5) The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 4.63 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006, 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 & 5-3/2011-FC(Vol.I) dated 06/01/2022 in this regard.

(6) All the funds received from the user agency under the project shall be transferred / deposited in CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/).

(7) Complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.

(8) *The User Agency shall strictly comply with all the conditions of Wildlife clearance.*

(9) *No objection certificate from the department which owns the existing transmission line in proposed diversion area shall be submitted before Stage-II approval.*

(10) *In view of guideline dated 08/07/2024 at Para 12.5 the portion of 2.84 ha for which proposal has been submitted for necessary wildlife clearance, forest clearance will be accorded only after recommendation of NBWL. Further no working permission after Stage-I will be admissible in the proposal to prevent fait accompli situation.*

(11) *a) The User agency shall submit road side plantation scheme in consultation with the State Forest Department and the plantation shall be carried out by SFD at the cost of User Agency.*

b) Cost of the same shall be transferred in CAMPA fund via online/ e portal.

(12) *The User Agency shall submit an undertaking that no muck shall be disposed off in forest land.*

(13) The KML files of Diverted and CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details prior to Stage-II Approval.

(14) Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No.5-2/2017-FC dated 28.03.2019.

(15) The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).

B. **Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval:**

(1) Legal status of the forest land shall remain unchanged.

(2) Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over **8.00 ha non-forest land at Khasra No. 356, Village- Tekadi, Tehsil- Katangi, District- Balaghat** at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species, especially non-native species shall be avoided.

(3) Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over **39.00 ha consolidated degraded forest land at Forest Comptt. No. 763, Forest Range- Katangi, South Balaghat Forest Division** at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species, especially non-native species shall be avoided.

(4) Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.

(5) The User Agency shall restrict felling of trees to the enumerated 517 numbers/any **minimum** number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department or the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department and State Forest Department shall undertake the fellings.

(6) Boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost.

(7) ***User agency shall raise strip plantation on both sides and central verge of the road as per the IRC norms.***

(8) ***Speed regulating signages will be erected all along the road at regular intervals in the Protected Areas/ Forest Areas.***

(9) Layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of the Central Government.

(10) No labour camp shall be established on the forest land.

(11) The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and staff working at the site so as to prevent any damage and pressure on the nearby forests.

(12) No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.

(13) The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the project life.

(14) The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.

(15) The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of all the Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order(s) and National Green Tribunal Order(s) pertaining to this project, if any for the time being in force, as applicable to the project.

(16) The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Central Government.

(17) Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.

After receipt of the compliance report regarding fulfillment of the conditions as stipulated above from the State Government, formal approval will be issued in this regard under Section 2 of the Forest (Conservation) Act, 1980.

This has been issued with the approval of competent authority.

(डा. योगेश गैरोला)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि:

1. वन महानिरीक्षक(एफसी) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा) वन भवन, तुलसीनगर, भोपाल ।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी - वन विभाग, वन भवन, तुलसीनगर, भोपाल ।
4. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल दक्षिण बालाघाट, जिला-बालाघाट, मध्यप्रदेश ।
5. महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई बालाघाट, मध्यप्रदेश ।
6. आदेश पत्रावली ।

(डॉ. योगेश गैरोला)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

Signed by Yogesh Gairola
Date: 05-11-2024 08:31:22

कार्यालय महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट
E-mail – gm_bgtpiu1@rediffmail.com - 07632240334

बालाघाट दिनांक 28/04/2025

पत्र क्र. 1083/तक/मप्रग्रासप्रा/2025

प्रति,

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण वनमंडल (सा.) बालाघाट

विषय :- बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWEA) अन्तर्गत कान्द्रीकला से कट्टीपार मार्ग निर्माण हेतु 7.47 हेक्टयेर वन भूमि म.प्र.ग्रामीण विकास प्राधिकरण बालाघाट को उपयोग पर देने बाबद्।
(ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/Road/155493/2022
एवं प्रकरण क्रमांक WL/MP/Road/465890/2024)

संदर्भ :- 1. आपका पत्र क्रमांक 2331/तक/बालाघाट दिनांक 02.04.2025
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-5/1253/ 2023/10-11/5541, 5542 भोपाल दिनांक 11.11.2024

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक 02 अनुसार बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत कान्द्रीकला से कट्टीपार मार्ग निर्माण हेतु 7.47 हेक्टयेर वन भूमि म.प्र.ग्रामीण विकास प्राधिकरण बालाघाट को उपयोग पर देने के संबंध में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी कर पालन प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये थे। उक्त संबंध में संदर्भित पत्र क्रमांक 01 द्वारा राशि जमा किये जाने हेतु डिमांड नोट जारी किया गया था।

उक्त संबंध में सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त के तहत NPV, क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि का एवं रोड साईड प्लांटेशन की राशि आवेदक विभाग द्वारा प्रकरण में दिये गये निर्देशो के तहत राशि केम्पा मद में एवं वन्यप्राणी कॉरीडोर के विकास हेतु परियोजना लागत की 2 प्रतिशत राशि म.प्र.टाईगर फाउंडेशन सोसायटी के भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा टी.टी. नगर भोपाल में जमा कर ऑनलाईन चालान की प्रति एवं परिवेश पोर्टल पर अपलोड की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। म्यूटेशन की कार्यवाही पूर्ण की गई है। सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्ते (भाग A अन्तर्गत 1 से 15, भाग B अन्तर्गत 1 से 17) का शर्तवार पालन प्रतिवेदन एवं भविष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति द्वारा नेट प्रजेन्ट वेल्यू (NPV) की दर निर्धारित की जाती है तो उक्त आकलित अंतर की राशि का भुगतान किये जाने संबंधी लिखित वचन पत्र मय अभिलेख सहित आपकी ओर प्रेषित है।

कृपया कान्द्रीकला से कट्टीपार मार्ग निर्माण हेतु 7.47 हेक्टयेर वन भूमि में सड़क निर्माण की औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें, जिससे सड़क निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा सके।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

बालाघाट, दिनांक 28/04/2025

पृ. क्र. 1084/तक/मप्रग्रासविप्रा/2025

प्रतिलिपी:-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन मध्यप्रदेश भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक बालाघाट, वनवृत्त बालाघाट की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. कलेक्टर बालाघाट, जिला बालाघाट की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. उप वनमंडलाधिकारी लांजी (सा.) उपवनमंडल लांजी की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ।
5. वन परिक्षेत्र अधिकारी पूर्व लांजी (सा.) परिक्षेत्र की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ।

महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

General Manager
M.P.R.R.D.A.P.I.U.-1 Balaghat

Name of Road - Kandrikala to Kattipar

Proposal No. - FP/MP/Road/155493/2022 **7.47 Hact.**

क्र.	वन विभाग द्वारा अधिरोपित शर्तें	आवेदक विभाग द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन
A	**Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department.**	
1	Cost of compensatory afforestation on the 8.00 ha. non-forest land at prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate. provisions for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	शर्त के पालन मे NPV की राशि रू. 91,77,568.00, क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि रू. 49,71,916.00 एवं रोड साईड प्लांटेशन की राशि रू. 56,82,820.00 कुल राशि रू. 1,98,32,304.00 ऑनलाईन कैंपा मद में दिनांक 17.04.2025 को जमा कर दी गई है। (संलग्न – चालान की प्रति)
2	The non forest land shall be transferred and mutated in fovour of state forest department and documents shall be submitted.	उक्त गैर वन भूमि को वन विभाग के नाम हस्तातंतरण करा दी गई है। ग्राम–टेकाडी, प.ह.न. 42, खसरा नं. 356 तह. कंटगी, जिला बालाघाट की राजस्व भूमि कलेक्टर बालाघाट के आदेश पत्र पृ. क्र. रा.प्र.क्र./0032/अ–59 वर्ष 22–23 दिनांक 05.12.2022 द्वारा वन विभाग को हस्तांतरण की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। **खसरा P2 की छायाप्रति संलग्न है।**
3	The non forest land which is transferred and mutated in favour of the State Forest Department for the purpose of compensatory afforestation shall be declared as Reserved Forest under section-4 or Protected Forest under section 29 of the Indian forest Act, 1927 or under the relevant section (s) of the State Forest Act, A Copy of PF/ RF notification may be submitted Stage-I compliance report.	वन विभाग कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है।
4	Cost at compensatory afforestation on the 39.00 ha. consolidatied degraded forest land at prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including the cost of survey demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate. provision for anticipated cost increase for the works scheduled for subsequent years.	RDF क्षेत्र में तैयार की गई 39.00 हेक्टर की एकजाई 5 प्रस्तावों में राशि रू. 16216427.00 केम्पा मद में ऑनलाईन दिनांक 04.01.2024 को जमा कराई जा चुकी है।

महाप्रबंधक
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परि.क्रियान्वयन इकाई क्रं. 1 बालाघाट

Proposal No. - FP/MP/Road/155493/2022 **7.47 Hact.**

5	The state Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 4.63 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003 as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006. 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 & 5-3/2011-FC (Vol-I) dated 06/01/2022 in this regard.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा। **वचन पत्र संलग्न है।**
6	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited in CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/)	ऑनलाईन केम्पा मद में जमा कर दी गई है।
7	Complete compliance of the FRA 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the cocreneded District Collector.	FRA प्रमाण पत्र कलेक्टर बालाघाट द्वारा निर्धारित प्रपत्र में भेजा गया है। **(छायाप्रति संलग्न है।)**
8	The User Agency shall strictly comply with all the conditions of Wildlife clearance.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
9	No objection certificate from the department which owns the existing transmission line proposed diversion area shall be submitted before Stage-II approval.	V.C. में प्रकरण की समीक्षा बैठक में अवगत कराया गया था कि विद्युत लाईन काफी ऊँचाई में है। अतः N.O.C. की आवश्यकता नही है। कृपया उक्त कंडिका को विलोपित किये जाने का अनुरोध है।
10	In view of guideline dated 08/07/2024 at Para 12.5 the portion of 2.84 ha for which proposal has been submitted for necessary wildlife clearance, forest clearance will be accorded only after recommendation of NBWL. Further no working permission after Stage-I will be admissible in the proposal to prevent fait accompil situation.	वाईल्ड लाईफ की स्वीकृति हेतु प्रकरण क्रमांक WL/MP/Road/465890/2024 दिनांक 13.03.2024 को सबमिट कर स्वीकृति हेतु पालन प्रतिवेदन पत्र क्रमांक 1040 दिनांक 23.04.2025 द्वारा प्रेषित किया गया है।
11 a)	The User Agency shall submit road side plantation scheme in consultation with the State Forest Department and the plantation shall be carried out by SFD at the cost of User Agency.	रोड साइड प्लान्टेशन की राशि चालान द्वारा दिनांक 17.04.2025 को जमा की जा चुकी है।
11 b)	Cost of the same shall be tranferred in CAMPA fund via online/e-protal.	
12	The User agency shall submit on undertaking that no muck shall be disposed off in forest land.	मार्ग निर्माण में निकलने वाली उपयोगी मिट्टी Emabankment बनाने में किया जावेंगा तथा शेष अनुपयोगी मिट्टी मार्ग के समतलीकरण में उपयोग की जावेंगी। अतः Muck वन क्षेत्र में कहीं भी नहीं डाला जावेंगा। **(वचन पत्र संलग्न है।)**

महाप्रबंधक
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
प्ररि.क्रियान्वयन इकाई क्रं. 1 बालाघाट

Proposal No. - FP/MP/Road/155493/2022 7.47 Hact.

13	The KML files of Diverted and CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details prior to Stage-II Approval.	व्यपवर्तित वन क्षेत्र की KML File, e-Green Watch अपलोड कर दी गई है।
14	Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation). Act 1980 as issued by this Ministry's letter No. 5-2/2017-FC date 28/03/2019	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
15	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/)	प्रथम चरण में अधिरोपित शर्तो A & B का पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
B	**Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval:**	
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 8.00 ha.non forest land at Khasra No. 356 Village Tekadi, Tehsil- Katangi, District- Balaghat at the cost of the user angcy. As far as possible a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species especially non native species shall be avoided.	राशि वनमंडल को चालान द्वारा केम्पा मद में जमा की गई है। शेष वनमंडल से संबंधित है।
3	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 39.00 ha.consolidated degraded- forest land at Forest Comptt. No. 763 Forest Range- Katangi, South Balaghat Forest Division at the cost of the user angcy. As far as possible, a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species, especially non native species shall be avoided.	राशि वनमंडल को चालान द्वारा केम्पा मद में जमा की गई है। शेष वनमंडल से संबंधित है।
4	Additional amount of NPV of the diverted forest land if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert. Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency Shall furnish an undertaking to this effect.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा। (वचन पत्र संलग्न है)

महाप्रबंधक
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परि.क्रियान्वयन इकाई क्रं. 1 बालाघाट

Proposal No. - FP/MP/Road/155493/2022 **7.47 Hact.**

5	The User Agency Shall restrict felling of trees to the enumerated 517 numbers/any minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department or the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency wtih the State Forest Department and State Forest Department shall undertake the fellings.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
6	Boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
7	User agency shall raise strip plantation on both sides and central verge of the road as per the IRC norms.	इस संबंध में अनुरोध है कि यह Road Singal lane है तथा किनारे–किनारे वृक्ष लगे हुए है। अतः वृक्षारोपण की आवश्यकता नही है। रोड साइड प्लान्टेशन की राशि चालान द्वारा दिनांक 17.04. 2025 को जमा की जा चुकी है।
8	Speed regulating signage will be erected all along the road at regular intervals in the protected Areas/forest Areas.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
9	Layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
10	No labour camp shall be established on the forest land.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
11	The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and staff working at the site so as to prevent any damage and pressure on the nearby forest.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
12	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
13	The period of diversion under this approval shall be co - terminus with the project life.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
14	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
15	The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of all the Acts. Rules, Regulation, Guidelines. Hon'ble Court Order (s) and National Green Tribunal Order(s) pertaining to this project, if any for the time being in force, as applicable to the project.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
16	The forest land proposed to be divered shall under no circumstances be transferred to any other agencies department or person without prior approval of Central Government.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।

महाप्रबंधक
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परि.क्रियान्वयन इकाई क्रं. 1 बालाघाट

Proposal No. - FP/MP/Road/155493/2022 **7.47 Hact.**

17	Any other condition that the Ministry of Environment Forest & Climate change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।

General Manager
M.P.R.R.D.A.P.I.U. Balaghat
महाप्रबंधक
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परि.क्रियान्वयन इकाई क्रं. 1 बालाघाट

Central Bank of India

आरेहिल अरेरा हिल्स भोपाल, शाखा भोपाल - 462011
AREHIL ARERA HILLS BHOPAL, BRANCH BHOPAL - 462011
IFSC: CBIN0283312

31150

सभी शाखाओं पर देय / PAYABLE AT ALL BRANCHES

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
1	1	0	4	2	0	2	5

PAY Branch Manager C.B.I.Balaghat

रुपये RUPEES Eight Crore Seventy five lakh Eighty Six Thousand four Hundred Seven only — या धारक को OR BEARER

अदा करें ₹ 87586407=00

खा.सं. A/c No 1793102296

6922013971

Account Officer
MPRRDA PIU-I
Balaghat (M.P.)

General Manager
M.P.R.R.D.A.P.I.U.1
BALAGHAT (M.P.)

ADMINISTRATIVE MPRRDA
MPRRDA INTERNET BANKING SUPER CIF

चेक जारी करने से पहले चेक बुक सक्रिय करें
Activate Cheque book before issuance of cheque

कृपया हस्ताक्षर ऊपर करें / Please sign above

⑈162082⑈ 462016014⑆ 000017⑈ 31

2082014

चेक तीन माह के लिए वैध VALID FOR THREE MONTHS

कार्यालय महाप्रबंधक
म. प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र.–1, बालाघाट
फोननं. – 07632– 240334,E-mail - gm_bgtpiu1@rediffmail.com

ज्ञापन क्रमांक /लेखा/2025 958

प्रति, बालाघाट दिनांक 11/04/2025

शाखा प्रबंधक
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
शाखा–बालाघाट (म.प्र.)

विषय :– Ad-HOC CAMPA मद म राशि NEFT/RTGS करने बाबत्।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत Ad-HOC CAMPA के निम्नलिखित खाता क्रमांक में राशि जमा किया जाना है। जिस हेतु चैक क्रमांक 162082 दिनांक 11.04.25 राशि रू. 8,75,86,407.00 (आठ करोड़ पच्हत्तर लाख छियासी हजार चार सौ सात मात्र) संलग्न कर सादर प्रेषित है। कृपया उक्त चैक खाते में NEFT/RTGS करते हुए CRN (Cyber Receipt No.) / UTR No.छाया प्रति सहित प्रदाय करने का कष्ट करें।

खाते का विवरणनिम्नानुसारहैः–

.N	Beneficiary Name	IFSC Code	Pay To Account NO.	Amount	Bank Name & Address
1	MADHYA PRADESH CAMPA	UBIN0996335	1507661155629680	3,05,17,100	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027
2			1507661155398174	1,28,31,373	
3			1507661155493725	1,98,32,304	
4			1507661156164636	2,44,05,630	
			योग	8,75,86,407	

महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीणसड़कविकासप्राधिकरण
परियोजनाक्रियान्वयनइकाई क्र.–1, बालाघाट

Vr. No. ———/PIU-I/Date /04/2025

P.W.D. Form No. 28

Hand Receipt

PASSED FOR PAYMENT OF
Rs. 87586407/- Eight Crore Seventy-five lakh Eighty Six Thousand Four Hundred Seven only
(In words) Rs.

General Manager
MPRRDA
PIU-1 Balaghat

In] Madhya Pradesh CAMPA Below A/c No.

1 Pay by Cash Rs.
2 Pay by Cheque Rs. 0.00
3 Paid by me 8,75,86,407
0.00

Received from the General Manager in charge of the P.I.U.-I, Balaghat.
The sum of Rs. 8,75,86,407.00 Only (In words Rs. Eight Crore Seventy Five Lakh Eighty Six Thousand Four Hundred Seven Only) Name of Work or purpose for which payment is being made On Account of NPV & Forest Expenditure RCPLWE Work.

S. N.	Beneficiary Name	IFSC Code	Package No./ Road Name	Pay To Account NO.	Amount	Bank Name & Address
1	MADHYA PRADESH CAMPA	UBIN0996335	MP01 810 Bodadlakha To Dhiri Murum	1507661155629680	30517100	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027
2			MP01 812 T02 KM 45 To Kandrikala	1507661155398174	12831373	
3			MP01 812 Kandrikala To Kattipar	1507661155493725	19832304	
4			MP01 814 Sitapala Tatikala To Kosamdehi	1507661156164636	24405630	
				Total	87586407	

Allocation:- 8,75,86,407

Amount in Vernacular

Signature of payee

Account Officer
M.P.R.R.D.A.
P.I.U. -I, Balaghat

Paid vide Cheque
No. 162082 Dated 11.04.25

Account Officer
MPRRDA PIU-I
Balaghat (M.P.)

कार्यालय महाप्रबंधक
म. प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र.–1, बालाघाट
फोननं. – 07632– 240334,E-mail – gm_bgtpiu1@rediffmail.com

ज्ञापन क्रमांक /लेखा./2025 953
प्रति. बालाघाट दिनांक 11 /04/2025

शाखा प्रबंधक
सेन्ट्ल बैंक ऑफ इंडिया
शाखा–बालाघाट (म.प्र.)

विषय :– M.P.Tiger Foundation Society मद म राशि NEFT/RTGS करने बाबत् ।

——00——

उपरोक्त विषयांतर्गत M.P.Tiger Foundation Society के निम्नलिखित खाता क्रमांक में राशि जमा किया जाना है। जिस हेतु चैक क्रमांक 162081 दिनांक 11.04.25 राशि रू. 74,73,420.00 (चौहत्तर लाख तिहत्तर हजार चार सौ बीस मात्र) संलग्न कर सादर प्रेषित है। कृपया उक्त चैक खाते में NEFT/RTGS करते हुए CRN (Cyber Receipt No.) / UTR No.छाया प्रति सहित प्रदाय करने का कष्ट करें।

खाते का विवरणनिम्नानुसारहै:–

S.No	Beneficiary Name	IFSC Code	Pay To Account NO.	Amount	Bank Name & Address
1	MADHYA PRADESH TIGER FOUNDATION SOCIETY	SBIN0001308	10571048460	26,22,000	State Bank Of India T.T. Nagar, Main Branch, Bhopal
2				28,13,220	
3				10,92,000	
4				9,46,200	
			योग	74,73,420	

महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीणसड़कविकासप्राधिकरण
परियोजनाक्रियान्वयनइकाई क्र.–1, बालाघाट

CBINR 52025041510015627

REPORT-ID: IF0000 CENTRAL BANK OF INDIA TRAN DATE:17042025

BRANCH: 03312 N E F T - T R I C K L E F E E D T R A N S A C T I O N S SENDER IFSC:CBIN0283312

MAKER: 0054874 CHECKER: 0054874

SENDER-AC-NO / SERVICE TAX	RESPONSE / AMOUNT	BENEFICIARY-AC-NO	BENEFICIARY-NAME	SENDER-NAME	RECEIVER-IFSC	COMMISSION	
3041271029	24405630.00	1507661156164636	MADHYAPRADESHCA	MPRRDABHOPAL	UBIN0996335	0.00	0.00
UTR CBINN62025041710840555							
3041271029	30517100.00	1507661155629680	MADHYAPRADESHCA	MPRRDABHOPAL	UBIN0996335	0.00	0.00
UTR CBINN62025041710840655							
3041271029	12831373.00	1507661155398174	MADHYAPRADESHCA	MPRRDABHOPAL	UBIN0996335	0.00	0.00
UTR CBINN62025041710840755							
3041271029	19832304.00	1507661155493725	MADHYAPRADESHCA	MPRRDABHOPAL	UBIN0996335	0.00	0.00
UTR CBINN62025041710840855							

TOTAL NO. OF TRANSACTION : 4 AND AMOUNT 87586407.00

SUCCESSFUL TRANSACTION : 4 AND AMOUNT 87586407.00

3312

महाप्रबंधक

म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

परि.क्रियान्वयन इकाई क्रं. 1 बालाघाट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

CLR No. : 11091867201

ग्राम: टेकाड़ी			पटवारी हल्का: टेकाड़ी (५)			तहसील: कटंगी			जिला: बालाघाट		वर्ष: 2023-2024
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक /ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता /पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरूसी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे: फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. दर्ज के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6.	7	8	9	10	11	12
1569186213 7DPJLYDCRNDAH0	356/2 (S)		8.0000 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0032/अ-59/2022-23, आदेश दि. 05/12/2022 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित। सरकार घास चराई

महाप्रबंधक
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परि.क्रियान्वयन इकाई क्र. 1 बालाघाट

लोक सेवा केंद्र बालाघाट (म.प्र.)

Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS MADHYA PRADESH 1
Date: 2024.01.19 12:15:29 IST
Reason: Digital Extract of Land Record - Khasra Copy
CLR No. : 11091867201

-: NPV की अतिरिक्त राशि जमा संबंध में प्रमाण पत्र :-

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत कान्द्रीकला से कट्टीपार मार्ग में वन परिक्षेत्र पश्चिम लांजी (सा.) परिक्षेत्र अन्तर्गत वन कक्ष क्रमांक 649, 650, 655, 660, 661 के वन क्षेत्र में 7.47 हेक्टेयर प्रस्तावित वन भूमि में सड़क के निर्माण के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय भारत द्वारा गठित कमेटी द्वारा भविष्य में NPV की दर निर्धारित की जाती है एवं अधिरोपित शर्तानुसार अंतर की राशि मांग की जाती है तब अंतर की राशि भुगतान करने इस हेतु आवेदक विभाग वचनबद्ध है।

महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

-: जिला स्तरीय वन अधिकार समिति का सहमति पत्र :-

प्रमाणित किया जाता है :-

1- आवेदक विभाग "महाप्रबंधक, ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक 01 बालाघाट" द्वारा **"कांद्रीकला से कटटीपार तक निर्माण कार्य"** हेतु तहसील लांजी आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र के **वन खंड क्रमांक 649, 650, 655, 661, 660 के वन क्षेत्र में 7.47 हेक्टेयर** वन भूमि हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वनभूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र मांग की गई है।

2- ग्राम पंचायत अंधियाटोला, जनपद पंचायत लांजी के द्वारा उक्त कार्य हेतु सहमति व्यक्त की गई है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परांपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओ /प्रतिक्रियाओ का पालन पूर्ण कर लिया गया है एवं हक प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु कोई भी व्यक्तिगत/सामुदायिक दावे लंबित नही है एवं उक्त क्षेत्र में किसी भी दावेदार को वन अधिकार हक प्रमाण पत्र पात्र/अपात्र नही किया गया है। ग्रामसभा की बैठक में 50% से अधिक सदस्य उपस्थित हुए।

3- उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति लांजी के द्वारा "कांद्रीकला से कटटीपार तक सड़क निर्माण कार्य" हेतु वन भूमि के व्यपवर्तन के लिए सहमति/अनुशंसा की गई है।

4- वन भूमि के व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले प्रयोजन के निर्माण से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है।

अतः उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति के सहमति के आधार पर जिला स्तरीय वन अधिकार समिति उक्त कार्य हेतु अपना अभिमत/सहमति प्रदान करती है।

(सचिव)	(सदस्य)	(अध्यक्ष)
सहायक आयुक्त,	वनमंडलाधिकारी	कलेक्टर
जनजातीय कार्य विभाग बालाघाट	दक्षिण (सा.) वन मंडल बालाघाट	जिला बालाघाट
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति बालाघाट	जिला स्तरीय वन अधिकार समिति बालाघाट	जिला स्तरीय वन अधिकार समिति बालाघाट

FORM-I Annexure-I

(For Linear Projects)

Government Of Madhya Pradesh

Office of the District Collector, Balaghat

****

No. 2191...... Dated.....8/6/2023

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of Indias letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right Act, 2006 FRA,for short) on the forest land proposed to be diverled for non-forest purposes read with MoEF'sletter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of lioner projects, it is certified that **7.47 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **General Manager, Rural Roads Development Authority Project Implementation Unit No. 01 Balaghat,** (name of user agency) for **Kandrikala to Kattipar Road Construction Work** (purpose for diversion of forest land) in **Balaghat** district falls within jurisdiction of South Balaghat Forest Division, Forest Range- Balaghat (T.) Forest Block Lanji **Tah./Block Lanji, Village-Andhiyatola in Compartment No. 649, 650, 655, 661, 660 Total Area 7.47 Hec.** in Forest land village(s) in **Lanji** tehsils.

It is further certified that:

(cc) The complitet process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **7.47 hectares** of forest land proposed for diversion.A copy of records of all consultation and meetings of the forest rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division level Committee(s)and the District Level Committee are enclosed as annexure **01** to annexure **02.**

(dd) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been complaeted and the Gram Sabhas have given their consent. to it;

(ee)(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal Groups and pre agricultural communities.

Encl: As above:

(Dr. Girish Kumar Mishra)
Signature
COLLECTOR
(full name and official seal of the District Collector)
BALAGHAT

E:\2020-21\Vanmitra 20-20\ज्ञापन.doc

-: Muck के उपयोग हेतु वचन पत्र :-

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत **कान्द्रीकला से कट्टीपार मार्ग में वन परिक्षेत्र पश्चिम लांजी (सा.) परिक्षेत्र अन्तर्गत वन कक्ष क्रमांक 649, 650, 655, 660, 661 के वन क्षेत्र में 7.47 हेक्टेयर** प्रस्तावित वन भूमि में सड़क के निर्माण के दौरान मार्ग निर्माण में निकलने वाली उपयोगी मिट्टी Embankment बनाने में किया जावेंगा तथा शेष अनुपयोगी मिट्टी मार्ग के समतलीकरण में उपयोग की जावेंगी। अतः Muck वन क्षेत्र में कहीं भी नहीं डाला जावेंगा। इस हेतु आवेदक विभाग वचनबद्ध है।

महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

—: वन क्षति नही किये जाने के संबंध में प्रमाण पत्र :—

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत कान्द्रीकला से कट्टीपार मार्ग में वन परिक्षेत्र पश्चिम लांजी (सा.) परिक्षेत्र अन्तर्गत वन कक्ष क्रमांक 649, 650, 655, 660, 661 के वन क्षेत्र में 7.47 हेक्टेयर प्रस्तावित वन भूमि में सड़क निर्माण के दौरान कोई भी वृक्ष नही काटे जावेगें। इस हेतु आवेदक विभाग वचनबद्ध है।

महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

न्यायालय कलेक्टर बालाघाट (म0प्र0)

रा0प्र0क0/0032/अ–59 वर्ष 22–23
मौजा टेकाडी (भ) प0ह0नं0– 42
रा0.नि.मं कटंगी तहसील कटंगी
जिला बालाघाट म.प्र.

महाप्रबंधक म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना इकाई क.1 बालाघाट
——————आवेदक

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन

आदेश
(पारित दिनांक 05 ~~नवम्बर~~ दिसम्बर 2022)

महाप्रबंधक म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना इकाई क.1 बालाघाट द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सड़क निर्माण/उन्नयन कार्य हेतु वन अधिकार संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भूमि व्यपवर्तन के तहत वन भूमि के विरुद्ध समतुल्य गैर वन भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने निवेदन किया गया है ।

वन विभाग को ग्राम टेकाड़ी (भ) तहसील कटंगी स्थित शासकीय भूमि ख.न. 356 रकबा 22.296 हे., भूमि आवंटित किये जाने के संबंध में तहसीलदार कटंगी द्वारा प्रकरण न्यायालय में संस्थित कर प्रकरण में सम्पूर्ण जांच कर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटंगी के माध्यम से इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में ईश्तहार का प्रकाशन किया गया है। निर्धारित अवधि में कोई दावा आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। ग्राम पंचायत टेकाडी (भ) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त की गई। राजस्व विभाग एवं वनविभाग के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा संयुक्त जांच की गई। ग्राम टेकाडी (भ) तहसील कटंगी स्थित शासकीय भूमि ख.न. 356 रकबा 22.296 हे., भूमि सरकार घास चराई मद में दर्ज है, जो वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। ग्राम का 2 प्रतिशत चरनोई का रकबा सुरक्षित रखने के उपरांत ग्राम टेकाडी (भ) तहसील कटंगी स्थित शासकीय भूमि ख.न. 356 रकबा 22.296 हे., में से 8.00 हे. भूमि वन विभाग को हस्तांरित किये जाने अनुशंसा संहित प्रतिवेदित किया गया है।

अनुविभागीय अधिकारी रा. कटंगी द्वारा तहसीलदार कटंगी के प्रतिवेदन से

कलेक्टर
जिला बालाघाट (म.प्र.)

सहमत होते हुये ग्राम ग्राम टेकाड़ी (भ) तहसील कटंगी स्थित शासकीय भूमि ख.न. 356 रकबा 22.296 हे., में से 8.00 हे. भूमि सरकार घास चराई मद में दर्ज है। वन विभाग को हस्तांरित किये जाने अनुशसा की गई है।

मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। ग्राम टेकाड़ी (भ) तहसील कटंगी स्थित शासकीय भूमि 356 रकबा 22.296 हे., में से 8.00 हे. भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में सरकार घास चराई मद में दर्ज है। तहसीलदार कटंगी तथा अनुविभागीय अधिकारी (रा0) कटंगी द्वारा वन विभाग को हस्तांतरित करने में अपनी सहमति दर्शायी है। प्रकरण में भूमि का स्थल निरीक्षण भी वन विभाग एवं राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है तथा उन्होंने उक्त भूमि को वन विभाग को हस्तांतरित करने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

प्रकरण के अवलोकन उपरांत राजस्व रिकार्ड में ग्राम टेकाड़ी (भ) तहसील कटंगी स्थित शासकीय भूमि 356 रकबा 22.296 हे., में से 8.00 हे. वर्तमान राजस्व अभिलेख में सरकार घास चराई मद में दर्ज है। जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 23.11..2022 में पारित स्वीकृति प्रस्ताव के आधार पर मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 की कंडिका 16 के तहत तथा अनुविभागीय अधिकारी कटंगी एवं तहसीलदार कटंगी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237(2) के तहत ग्राम टेकाड़ी (भ) तहसील कटंगी स्थित शासकीय भूमि 356 रकबा 22.296 हे., में से 8.00 हे. भूमि राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-दो की कंडिका 5 के तहत वन विभाग को हस्तांतरित की जाती है। महाप्रबंधक म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना इकाई क्र.1 बालाघाट को निर्देशित किया जाता है, कि वे वन विभाग की समिति द्वारा जारी स्वीकृति की कंडिकाओं का पालन करते हुए कार्य संपादित करें।

आज दिनांक 05 / 12 / 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से आदेश पारित किया गया।

(डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा)
कलेक्टर बालाघाट (म.प्र.)
बालाघाट (म0प्र0)

पृ0क0 / 2130 / रीडर / कले0 / 2022 बालाघाट दिनांक- 5 / 12 / 2022

प्रतिलिपि :-

1- महाप्रबंधक म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना इकाई क.1 बालाघाट।
2- वनमंडलाधिकारी उत्तर / दक्षिण (सामान्य) वनमंडल बालाघाट
3- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटंगी।
4- तहसीलदार कटंगी जिला बालाघाट।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

कलेक्टर
बालाघाट (म.प्र.)

rediffmail

Mailbox of gm_bgtpiu1

Subject: Email Alert From System Administrator of Online Submission and Monitoring of Forests Clearances Proposal(OSMFCP) portal

From: monitoring-fc@nic.in on Mon, 07 Apr 2025 14:57:42

To: gm_bgtpiu1@rediffmail.com

Cc: monitoring-fc@nic.in

This is to acknowledge that demand details submitted by User Agency have been verified by Nodal Officer and found to be correct. Detail of Proposal are given below.

Propsal Detail

1. Proposal No.	: FP/MP/ROAD/155493/2022
2. Proposal Name	: Construction of road from Kandrikala to Kattipar Road under RCPLWEA scheme
3. Category of the Proposal	: Road
4. Date of In-principle	: 18/05/2022

5. Name of the Applicant with Contact Details

Name	: MPRRDA PIU-1 BALAGHAT
Mobile No.	: 9424636525
Email ID	: gm_bgtpiu1@rediffmail.com
State	: Madhya Pradesh
District	: Balaghat
Pincode	: 481001

Funds Demand Details

1. Compensatory Afforestation	: Rs. 4971916/-
2. Additional Compensatory Afforestation	: Rs. 0/-
3. Penal Compensatory Afforestation	: Rs. 0/-
4. Catchment Area Treatment	: Rs. 0/-
5. Safety Zone	: Rs. 0/-
6. Additional Charges for protected area	: Rs. 0/-
7. Net Present Value (NPV)	: Rs. 9177568/-
8. Other Charges	: Rs.0/-
9. Road Side Plantation	: Rs. 5682820/-
10. Other Charges1	: Rs.0/-
11. Other Charges2	: Rs.0/-
Total Amount	: Rs. 19832304/-

User Agency is requested to make above mentioned payment after generating challan through the system.

(System Administrator)

*** This is a system generated email, please do not reply. ***

महाप्रबंधक
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परि.क्रियान्वयन इकाई कं. 1 बालाघाट

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 07-04-2025

Agency Name.	MPRRDA PIU-1 BALAGHAT
Application No.	61155493725
MoEF/SG File No.	6-MPR019/2023-BHO
Location.	MADHYA PRADESH
Address.	Near RTO Office Civil LineBalaghat
Amount(in Rs)	19832304/-

Amount in Words :One Crore Ninety-Eight Lakh Thirty-Two Thousand Three Hundred and Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1507661155493725 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 07-04-2025

Agency Name.	MPRRDA PIU-1 BALAGHAT
Application No.	61155493725
MoEF/SG File No.	6-MPR019/2023-BHO
Location.	MADHYA PRADESH
Address:	Near RTO Office Civil Line Balaghat
Amount(in Rs)	19832304/-

Amount in Words :One Crore Ninety-Eight Lakh Thirty-Two Thousand Three Hundred and Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1507661155493725 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Print Back

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, मध्य प्रदेश

भू–तल, सी–ब्लॉक, वन भवन, लिंक रोड नं.–2, तुलसी नगर, भोपाल–462003

दूरभाष : 0755–2674248, 2524275, फैक्स : 0755–2674206 E-mail : pccfwl@mp.gov.in

क्रमांक / वन्यजीव / व.त.अ.–1 / 27.08 / 432 भोपाल, दिनांक 13/01/2025

प्रति,

महाप्रबंधक,
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन ईकाई–1, बालाघाट

विषय :– **बालाघाट जिले के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWEA) तहत कान्हा–नागझीरा–ताडोबा–इन्द्रावती टाइगर कॉरीडोर में दक्षिण बालाघाट सामान्य वनमण्डल में कान्द्रीकला से कट्टीपार मार्ग लम्बाई 4.56 कि.मी. रकबा 7.47 हैक्टेयर वनभूमि म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई–1, बालाघाट को मार्ग निर्माण हेतु उपयोग पर देने की वन्यजीव अनुमति।**

संदर्भ :– परिवेश पोर्टल से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक WL/MP/ROAD/465890/2024

––0––

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके द्वारा बालाघाट जिले के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWEA) तहत कान्हा–नागझीरा–ताडोबा–इन्द्रावती टाइगर कॉरीडोर में दक्षिण बालाघाट सामान्य वनमण्डल में कान्द्रीकला से कट्टीपार मार्ग लम्बाई 4.56 कि.मी. रकबा 7.47 हैक्टेयर वनभूमि मार्ग निर्माण हेतु उपयोग करने की वन्यजीव अनुमति हेतु प्रेषित प्रस्ताव वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण बालाघाट सामान्य वनमण्डल की अनुशंसा सहित प्राप्त हुआ था।

उक्त प्रस्तावानुसार दक्षिण बालाघाट सामान्य वनमंडल के अंतर्गत कुल लम्बाई 9.70 कि.मी. (वनक्षेत्र में 8.30 कि.मी.) में से टाइगर कॉरीडोर क्षेत्र में कक्ष क्रमांक 649, 650, 655, 660 एवं 661 में लम्बाई 4.56 कि.मी. में रकबा 7.47 हैक्टेयर वनभूमि का उपयोग किया जाना प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित योजना में 517 वृक्ष प्रभावित होना दर्शाया गया है। आवेदक संस्था द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु भूमि दक्षिण बालाघाट वनमण्डल को उपलब्ध कराने हेतु वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है। परियोजना की कुल लागत रूपये 546.00 लाख दर्शायी गई है।

मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, म.प्र. संबंधित वन संरक्षक, वनमण्डलाधिकारी एवं आवेदक विभाग की मुख्यालय स्तर पर संयुक्त बैठक दिनांक 09.09.2024 को आयोजित की गई, जिसमें निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. प्रस्तावित मार्ग का पुनः स्थल निरीक्षण कर क्षेत्र में पाये जाने वाले अधिकतम ऊंचाई के वन्यजीवों के अनुसार 07 अण्डरपास / बाक्स कल्वर्ट प्रस्तावित किये गये हैं। जिनकी संख्या में आवश्यकतानुसार वृद्धि की जावे।
2. मार्ग में जहां ह्यूम पाइप प्रस्तावित किये गये हैं वहां न्यूनतम 01 मीटर ऊंचाई के बाक्स कल्वर्ट प्रस्तावित किये जायेंगे।
3. प्रभावित वृक्षों में से शोल्डर पर स्थित आवश्यक वृक्षों को ही काटते हुए न्यूनतम वृक्षों के पातन हेतु प्रस्तावित किया जावे।
4. वनक्षेत्र में निहित लम्बाई के लिए वन्यजीव एनीमल पैसेज प्लान प्रस्तुत किया जावे।
5. प्रस्ताव के संबंध में संबंधित वनमण्डलाधिकारी द्वारा जस्टिफिकेशन एवं मिटिगेशन प्रमाण पत्र प्रेषित किया जावे।

Pdm
15/01

संरक्षित क्षेत्र प्रभारी/वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सामान्य वनमण्डल बालाघाट द्वारा प्रेषित जानकारी के अनुसार प्रस्तावित मार्ग सुदूर वनक्षेत्र में एकल मार्ग है। जिसमें 3.75 मीटर चौड़ाई में डामरीकरण एवं 1.87 मीटर चौड़ाई में मार्ग के दोनों तरफ शोल्डर्स का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित क्षेत्र वनाच्छादित वनक्षेत्र है, जहां बाघ, तेन्दुआ, भालू, जंगली सुअर, जंगली कुत्ता, सियार, चीतल, सांभर, नीलगाय, कोटरी, बायसन, मोर, लंगूर सहित अन्य वन्यजीव पाये जाते हैं। प्रस्तावित मार्ग से सुदूर वनक्षेत्र में स्थित 02 ग्रामों की 361 जनसंख्या को आवागमन सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस मार्ग में दिन में 02 से 04 दोपहिया एवं 01 से 02 चार पहिया वाहनों का आवागमन होता है, जो अत्यंत ही कम है। इस मार्ग में विगत 05 वर्षों में वाहनों से वन्यजीवों की दुर्घटना के एक भी प्रकरण प्रकाश में नहीं आये हैं। प्रस्तावित मार्ग भारत सरकार की RCPLWEA योजनान्तर्गत नक्सल समस्या के उन्मूलन हेतु प्रस्तावित है। उक्त मार्ग निर्माण से पुलिस विभाग एवं वन विभाग की गश्ती, सुदूर वनक्षेत्र में निवासरत् ग्रामीणों को आवागमन की बेहतर सुविधा एवं उन्हे शासन की योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराकर उनके जीवन–स्तर में सुधार किया जाना है। वनमण्डलाधिकारी द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र में पाये जाने वाले वन्यजीवों को दृष्टिगत रखते हुए न केवल कॉरीडोर वनक्षेत्र में बल्कि प्रभावित समस्त वनक्षेत्रों में वन्यजीवों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु वन्यजीव एनीमल पैसेज प्लान तैयार कराकर प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार निम्नानुसार कुल 09 अधोसंरचनायें प्रस्तावित की गई है, जिनमें 10 वृक्ष पातन हेतु प्रभावित हो रहे हैं।

क्र.	चैनेज (मीटर में)	अधोसंरचना	लम्बाई (मीटर में)	उंचाई (मीटर में)
1	1020	अंडरपास/स्लेब कल्वर्ट	3	4
2	2060	अंडरपास/स्लेब कल्वर्ट	3	4
3	3120	अंडरपास/स्लेब कल्वर्ट	3	4
4	3780	अंडरपास/स्लेब कल्वर्ट	3	4
5	4960	अंडरपास/स्लेब कल्वर्ट	3	4
6	5480	अंडरपास/स्लेब कल्वर्ट	3	4
7	6300	अंडरपास/स्लेब कल्वर्ट	3	4
8	7850	अंडरपास/स्लेब कल्वर्ट	3	4
9	8000	अंडरपास/स्लेब कल्वर्ट	3	4

इसके अतिरिक्त मार्ग में 18 स्पीड ब्रेकर एवं 45 साइन बोर्ड का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में स्थित कच्चा मार्ग समतल एवं वर्तमान स्थित धरातल से मार्ग 32 सेंटीमीटर ऊंचाई पर होने से प्रस्तावित 09 एनीमल पैसेज/अधोसंरचनाओं के अतिरिक्त अन्य पैसेज की आवश्यकता संभव नहीं है, का लेख करते हुए वनगण्डलाधिकारी, दक्षिण बालाघाट द्वारा प्रस्ताव की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, मध्यप्रदेश द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव एवं पैसेज प्लान को दृष्टिगत रखते हुए वन्यजीव पर किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव न पड़ने की नगण्य संभावना के दृष्टिगत निम्न शर्तों के अधीन अनुशंसा की गईः–

1. प्रकरण में आवेदक संस्था द्वारा टाइगर कॉरीडोर क्षेत्र में प्रस्तावित परियोजना लागत की 02 प्रतिशत की राशि म.प्र. टाइगर फाउंडेशन सोसायटी के खाते में वन्यप्राणी कॉरीडोर के विकारा हेतु जमा करायी जावेगी।
2. नियमानुसार एन.पी.व्ही. एवं अन्य शुल्क देय होगा।
3. प्रेषित पैसेज प्लान में प्रस्तावित स्थलों/चैनेज/कि.मी. पर ही अधोसंरचनाओं का निर्माण आवेदक संस्था द्वारा किया जायेगा एवं मार्ग का रि–एलाइमेंट नहीं किया जायेगा।
4. वन एवं वन्यप्राणियों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा।

5. सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व कार्य नही किया जायेगा।
6. निर्माण सामग्री वन क्षेत्र के बाहर से लायी जावेगी।
7. आवेदक संस्था द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ करने एवं समाप्ति की सूचना संबंधित संरक्षित क्षत्र प्रभारी को उपलब्ध करानी होगी।
8. आवेदक संस्था एवं संबंधित संरक्षित क्षेत्र प्रभारी/वनमण्डलाधिकारी द्वारा कार्य के संबंध में Compliance Report प्रस्तुत की जावेगी।

2. उक्त प्रस्ताव इस कार्यालय की अनुशंसा सहित मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड की 27वीं बैठक दिनांक 27.09.2024 में विचारार्थ रखा गया था, जिसमें बोर्ड द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

"बालाघाट जिले के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWEA) तहत कान्हा—नागझीरा—ताडोबा—इन्द्रावती टाइगर कॉरीडोर में दक्षिण बालाघाट सामान्य वनमण्डल में कान्द्रीकला से कट्टीपार मार्ग लम्बाई 4.56 कि.मी. रकबा 7.47 हैक्टेयर वनभूमि म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई—1, बालाघाट को मार्ग निर्माण हेतु उपयोग पर देने संबंधी प्रस्ताव की मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड द्वारा वन्यजीवों की सुरक्षा एवं आवागमन की सुविधा के दृष्टिगत उक्त अधिरोपित शर्तों एवं प्रेषित पैसेज प्लान में प्रस्तावित 09 स्लेब कल्वर्ट, 18 स्पीडब्रेकर एवं 45 साइन बोर्ड निर्माण किये जाने की शर्त पर अनुशंसा की जाती है। प्रस्ताव की राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड से अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु आगामी कार्यवाही की जावे।"

3. प्रकरण में राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की स्टेंडिंग कमेटी की 81वीं बैठक दिनांक 21.12.2024 में एजेण्डा क्रमांक 81.5.49 में विचारोपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :—

***Decision Taken:** After discussions, the Standing Committee decided to approve the proposal subject to the following conditions:*

1. *The User Agency shall implement the animal passage plan submitted along with the proposal.*
2. *No labourer will be allowed to stay inside the forest area.*
3. *Construction work will not be permitted after sun set and before sunrise.*
4. *Construction materials shall be carried out from the forest area.*
5. *User Agency, in consultation with the Forest Department, shall construct speed breakers / rumble strips and install warning signboards at areas sensitive for wildlife crossings.*
6. *The width of the road shall not exceed the width of a typical forest road.*
7. *Underpasses/animal passages shall be constructed at wildlife crossing points for uninterrupted movement of wild animals.*
8. *No trees shall be felled during the construction of this road but vegetation shall be cleared to improve visibility along the road to avoid accident with wild animals.*
9. *Existing drainage culverts shall be retrofitted to facilitate wildlife crossings by animals.*
10. *Construction work shall be permitted during daytime. No labour camps shall be established inside the tiger reserve.*
11. *Construction materials shall be procured from outside the Tiger Reserve. Construction debris shall be disposed away from the Tiger Reserve by the User Agency.*
12. *The alignment of the road and construction activities shall not disrupt any natural water channel.*
13. *CWLW, Madhya Pradesh shall monitor the compliance of the conditions stipulated in this report at various phases of the project implementation.*
14. *An annual compliance certificate on the stipulated conditions shall be submitted by the User Agency to the State Chief Wild Life Warden and an annual compliance certificate shall be submitted by the State Chief Wild Life Warden to Government.*

4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.10.2015 को यह आदेश पारित किया गया है :—

"In all case matters where there is already decision of the Standing Committee of the NBWL the parties shall abide with all the conditions imposed therein."

5. अतः उक्त प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05.10.2015, राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की 81वीं बैठक दिनांक 21.12.2024 एवं मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड की 27वीं बैठक दिनांक 27.09.2024 में की गई अनुशंसाओं के अनुसार बालाघाट जिले के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWEA) तहत कान्हा–नागझीरा–ताडोबा–इन्द्रावती टाइगर कॉरीडोर में दक्षिण बालाघाट सामान्य वनमण्डल में कान्द्रीकला से कट्टीपार मार्ग लम्बाई 4.56 कि.मी. रकबा 7.47 हैक्टेयर वनभूमि म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई–1, बालाघाट को मार्ग निर्माण हेतु उपयोग पर दिये जाने संबंधी प्रस्ताव की निम्न शर्तों के अधीन सैद्धांतिक वन्यजीव अनुमति प्रदान की जाती है:–

5.1. राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की स्टेंडिंग कमेटी की 81वीं बैठक दिनांक 21.12.2024 में एजेण्डा क्रमांक 81.5.49 पर लिए गये निर्णय एवं मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार अधिरोपित शर्तों का अक्षरशः पालन किया जावे।

5.2 प्रकरण में आवेदक संस्था द्वारा राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की 64वीं बैठक दिनांक 07.08.2021 में एजेण्डा क्रमांक 64.2.1 में लिये गये निर्णय अनुसार वन्यप्राणी कॉरीडोर के विकास हेतु कॉरीडोर में प्रस्तावित मार्ग निर्माण की प्रोजक्ट कास्ट की 2 प्रतिशत की राशि मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड की 16वीं बैठक दिनांक 05.12.2017 को एजेण्डा क्रमांक 16.4 में लिये गये निर्णय अनुसार म.प्र. टाइगर फाउंडेशन सोसायटी के भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा टी.टी. नगर, भोपाल के बचत खाता क्रमांक 10571048460 आई.एफ.एस.सी. कोड SBIN0001308 में जमा करायी जावे। आवेदक संस्था द्वारा कार्य प्रारंभ करने से पूर्व नियमानुसार एन.पी.व्ही. की राशि कैम्पा मद में जमा करायी जावेगी।

5.3. कॉरीडोर/वन क्षेत्र में सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व कार्य नही किया जायेगा।

5.4. निर्माण सामग्री कॉरीडार क्षेत्र/वन क्षेत्र के बाहर से लायी जावेगी।

5.5. संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र के भीतर पत्थर तोड़ने/वनभूमि में किसी भी प्रकार का उत्खनन/नदी–नालों से अवैध रेत उत्खनन/वृक्ष कटाई तथा वन संपदा/वन्यप्राणियों एवं उनके रहवास को नुकसान पहुँचाना/आग जलाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। यह सुनिश्चित करने का दायित्व उपयोगकर्ता विभाग का होगा।

5.6. निर्माण के दौरान श्रमिक कैम्प कॉरीडोर क्षेत्र/वनक्षेत्र की सीमा में न लगाया जाये।

5.7. श्रमिक कैम्प कॉरीडोर/वन क्षेत्र की सीमा से बाहर कम से कम 01 कि.मी. की दूरी पर लगाया जाये तथा रात्रि के दौरान निर्माण क्षेत्र में वाहन एवं श्रमिकों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

5.8 मार्ग निर्माण के दौरान प्रस्तावानुसार 517 वृक्षों को काटने के अतिरिक्त अन्य कोई वृक्ष को काटा/नुकसान नहीं पहुंचाया जावेगा। परियोजना हेतु कम से कम वृक्षों की कटाई की जावे।

5.9 मार्ग निर्माण के दौरान प्रस्तावानुसार प्रस्तावित क्षेत्र में वन्यजीवों के लिए शमन उपायों के अंतर्गत 09 अधोसंरचनाओं प्रस्तावित की गई। उक्त 9 अधोसंरचनाओं (स्लेब पुलिया) में 10 वृक्षों पातन किया जावे एवं 18 स्पीड ब्रेकर एवं 45 साइन बोर्ड निर्माण किया जावे।

5.10 आवेदक संस्था यह सुनिश्चित करें कि वन्यजीव कॉरीडोर क्षेत्र के भीतर निर्माण कार्य की अवधि न्यूनतम रखी जाये क्योंकि लम्बे समय तक निर्माण कार्य जारी रहने से क्षेत्र में वन्यजीवों का रहवास/आबादी एवं आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो सकता है।

5.11 आवेदक संस्था को संबंधित वनक्षेत्र प्रभारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना होगा तथा निर्माण कार्य प्रारंभ करने एवं समाप्ति की सूचना संबंधित संरक्षित/वन क्षेत्र प्रभारी/वनमण्डलाधिकारी को उपलब्ध करानी होगी।

5.12. निर्माण एजेन्सी या उसके कॉन्ट्रेक्टर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों का पालन करना सुनिश्चित करेंगें।

5.13. प्रकरण में यदि प्रस्तावित वनभूमि का व्यपवर्तन हो रहा हो तो वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 के तहत इसकी पृथक से अनुमति प्राप्त की जावे तथा उक्त अनुमति प्राप्त होने के पूर्व निर्माण कार्य न किया जावे।

5.14. निर्माण के दौरान कार्य में संलग्न लोगों को, कार्य आरंभ करने के पूर्व ही, इस कार्य के दौरान क्या–क्या सावधानियाँ रखना है, इसके संबंध में जागरूक करा दिया जाये।

5.15 उक्त शर्तों/निर्देशों की अवहेलना अथवा पालन न होने पर यह अनापत्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी एवं आवेदक विभाग एवं निर्माण एजेन्सी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

5.16 आवेदक संस्था एवं संरक्षित क्षेत्र/वनमण्डलाधिकारी द्वारा कार्य के संबंध में वार्षिक पालन प्रतिवेदन (Compliance Report) प्रस्तुत की जावेगी।

आवेदक संस्था द्वारा उक्त दर्शित शर्त क्रमांक–5.2 के अनुसार राशि जमा कराये जाने तथा अन्य शर्तों का पालन करने संबंधी वचन पत्र वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण बालाघाट वनमण्डल के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित करने के उपरांत, प्रकरण में पृथक से अंतिम वन्यजीव अनुमति जारी की जा सकेगी। अंतिम अनुमति के पूर्व कार्य प्रारंभ न किया जावे। उक्त कार्य प्रारंभ करने एवं कार्य समाप्ति की सूचना तथा उपरोक्त शर्तों के संबंध में पालन प्रतिवेदन (Compliance Report) वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण बालाघाट सामान्य वनमण्डल के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित किया जावे।

13/1/25

(शुभरंजन सेन)
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) एवं
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक म.प्र.

पृ. क्रमांक/वन्यजीव/व.त.अ.–1/27.08/433 भोपाल, दिनांक 13/01/2025

प्रतिलिपिः–

1. उप वन महानिरीक्षक, (वन्यप्राणी डिविजन), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, छठवीं मंजिल, वायु विंग, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली–110003 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश, वन भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) वन भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. मुख्य वन संरक्षक, बालाघाट वृत्त बालाघाट वृत्त म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण बालाघाट सामान्य वनमण्डल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित। उक्त प्रकरण में अधिरोपित समस्त शर्तो के क्रियान्वयन हेतु आपको प्राधिकृत किया जाता हैं। प्रकरण में परियोजना लागत की 2 प्रतिशत की राशि एवं नियमानुसार एन.पी.व्ही. की राशि आवेदक विभाग/संस्था से जमा कराकर समस्त अधिरोपित शर्तों का पालन संबंधी वचन पत्र प्राप्त कर की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। प्रकरण में अंतिम स्वीकृति के पूर्व कार्य प्रारंभ न करने दिया जावे।

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) एवं
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक म.प्र.

Online Help/Query

Status of the Payment made by User Agencies

Help

Click on **Proposal No.** to view Detail of proposal. Click on **Demand letter** to view Uploaded demand letter.

CA : Compensatory Afforestation; Addl CA : Additional Compensatory Afforestation; PCA : Penal Compensatory Afforestation; CAT : Catchment Area Treatment; Addl PA : Additional Charges for protected area; NPV : Net Present Value;

- To be Verified : This icon shows that the details of the Funds submittted by User Agency are yet to be verified by Nodal Officer.
- Verified : This icon shows that the demand has been verified by Nodal Officer.
- Challan Generated : This icon shows that the challan has been generated.
- Unpaid : This icon shows that the payment yet to be made.
- Paid : This icon shows that the payment has been made.

◉Proposals received on or after 15th July 2014 ○All Proposals received upto 14th July 2014

Select Region : Bhopal | Select State : Madhya Pradesh

Select User Agency : Select

Payment Status : ○Paid ○Unpaid ◉All

Enter value for Search : 155493

SEARCH

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (In Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/MP/ROAD/155493/2022 (../viewreport.aspx?pid=FP/MP/ROAD/155493/2022) Construction of road from Kandrikala to Kattipar Road under RCPLWEA scheme	ROAD1554932022725	05 Nov 2024	CA: 4971916/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 9177568/-, Road Side Plantation : 5682820/- Total : 19832304/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :07 Apr 2025 Bank Name :Union Bank Of India Mode of Payment :NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :15 Apr 2025 Transaction Date :17 Apr 2025	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/0604202513064284O3_FPMPROAD1554932022_User_Fund_Demanded_25Q07.p Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD1554932022725)

SWACHH BHARAT (HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/) Power To Empower (HTTP://WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN) Open Government Data (OGD) Platform India (HTTPS://DATA.GOV.IN/) india.gov.in (HTTPS://INDIA.GOV.IN/) myGov (HTTPS://WWW.MYGOV.IN/) MeitY (HTTP://MEITY.GOV.IN/) (HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/) NIC (HTTP://WWW.NIC.IN/)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment,Forest and Climate Change, Government of India

Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (Accessibilitystatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 मई 2025

क्रमांक/**PCCF/7/0181/2025-FLR-PCCF** : भारतीय वन अधिनियम, **1927** (क्रमांक **16**, सन् **1927**), की धारा **29** द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय **4** के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची

जिला-बालाघाट **तहसील** - कटंगी

वनमंडल-दक्षिण बालाघाट (सा.) **वन परिक्षेत्र**- वारासिवनी (सा.)

अ.क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	प्रस्तावित वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1.	टेकाडी (द)	टेकाडी	शासकीय भूमि, घास चराई	356/2	8.000	**उत्तर-** प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. **1** से मुनारा क्र. **3** और मुनारा क्र. **3** से आरक्षित वनखण्ड सोनेवानी के कक्ष क्र. **481** के मुनारा क्र. **12/1** तक कृत्रिम वनसीमा। **पूर्व-** आरक्षित वनखण्ड सोनेवानी के कक्ष क्र. **481** के मुनारा क्र. **12/1** से मुनारा क्र. **14/1** तक की वनसीमा। **दक्षिण-** आरक्षित वनखण्ड सोनेवानी के कक्ष-क्र. **481** के मुनारा क्र. **14/1** से प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र **4** एवं मुनारा क्र. **4** से मुनारा क्र. **6** तक की कृत्रिम वनसीमा।
				योग-	8.000	

						पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 6 से मुनारा क्र. 9 और मुनारा क्र. 9 से मुनारा क्र. 1 तक की कृत्रिम वनसीमा।

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः -

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक **6-** एमपीआर **019/2023**-बीएचओ दिनांक **05.11.2024** में अधिरोपित शर्त के अनुसार आवेदक विभाग/संस्थान- महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक-**1, 2** बालाघाट, जिला बालाघाट अन्तर्गत स्वीकृत परियोजना कांद्रीकला से कट्टीपार तक सड़क निर्माण कार्य प्रस्ताव क्रमांक **FP/MP/Road/155493/2022** में प्रभावित वनभूमि रकबा **7.470** हे**0** के एवज में उपरोक्त अनुसूची अनुसार प्राप्त कुल **8.000** हेक्टेयर गैर वनभूमि क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर बालाघाट, के आदेश क्रमांक/रा.प्र.क्र./**0032**/अ-**59** वर्ष **22-23** में पारित आदेश दिनांक **05.12.2022** से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार कटंगी, जिला-बालाघाट के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः-

1. व्यक्तिगत अधिकारः - उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है।

2. सामुदायिक अधिकारः - उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, **1927** की धारा **29** के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 मई 2025

क्र. PCCF-7-0181-2025-FLR-PCCF .—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF-7-0181-2025-FLR-PCCF, दिनांक 13 मई 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 13th May 2025

No./PCCF/7/0181/2025-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below. subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

District:- Balaghat Tahsil :- Katangi

Forest Division :- South Balaghat Forest Range :- Waraseoni

S.No	Details of Land Included					Forest Block Bouderies
	Name of the Forest Block.	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	Tekadi (D)	Tekadi	Government Land, Ghas Charai	356/2	8.000	North- Artificial forest boundary from Pillar No. 1 to 3 of the proposed protected forest block and from Pillar No. 3 to 12/1 of Comparment No. 481 of reserved forest block Sonewani. East- Forest boundary from Pillar No. 12/1 to Pillar No. 14/1 of Comparment No. 481 of reserved forest block Sonewani. South- Artificial forest boundary from Pillar No.14/1 of Comparment No. 481 of reserved forest block Sonewani to Pillar No. 4 of proposed protected forest block and from Pillar No. 4 to 6. West- Artificial forest boundary from Pillar No. 6 to Pillar No. 9 and Pillar No. 9 to Pillar No. 1 of the proposed protected forest block.
				Total	8.000	

(A) Reason for Publication of Notification :-
In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 6-MPR 019/2023-BHO dated 05-11-2024 and in lieu of 7.470 hectare of forest land affected in construction of road from Kandrikala to Kattipar, proposal No. FP/MP/Road/155493/2022 of user agency- General Manager, M.P.R.R.D.A., PIU-1, 2 Balaghat, Distt. Balaghat, the Non Forest Land of 8.000 hectare as mentioned in the schedule above, transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No. /R.P.K./0032/A-59 year 22-23 dated 05.12.2022 of Collector Balaghat for the purpose of compensatory afforestation is to be
declared as protected forest.
1. Details of other Reasons- Nil
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per Competent Revenue officer report (Certificated) of Tahsildar- Katangi, District- Balaghat are as under.

1. Individual Rights - There are no individual rights on the said land.
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex-officio Dy. Secy.

आदेश द्वारा मुख्य वन संरक्षक वनवृत्त,
बालाघाट, मध्यप्रदेश – 481001

Email- cfbalaghat@mpforest.org, cfbghat@mp.gov.in दूरभाष : 07632–241201 फैक्स : 07632–240268

—::आदेश ::—

आदेश क्रमांक/व्यय.आ./106 बालाघाट, दिनांक 28/3/2025

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ/1194/191/2022/9 नियम/चार दिनांक 14.07.2022 (बुक ऑफ फाइनेंशियल पावर्स वाल्यूम–2) द्वारा प्रदत्त अधिकार के तहत भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल के पत्र कमांक/6-MPR019/2023-BHO दिनांक 15.11.2024 से प्राप्त सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तो के अनुसार बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अंतर्गत कांद्रीकला से कटटीपार तक मार्ग निर्माण हेतु 7.47 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने के ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक/FP/MP/ROAD/155493/2022 में शासन द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र0–A(11) के अनुपालन में रोड साईड प्लांटेशन योजना के संबंध में वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सामान्य वनमण्डल बालाघाट से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार 8.300 कि.मी. असिंचित सड़क किनारे वृक्षारोपण कार्य की वर्ष 2025–26 से (ग्यारह वर्षीय) तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

कार्य का विवरण

क्र.	परिक्षेत्र का नाम	कार्य नाम	स्थल	रकबा	प्राक्कलन कुल राशि
1	पश्चिम लांजी सामान्य	प्रधान मंत्री सड़क योजनाँ अन्तर्गत सड़क के किनारे वृक्षारोपण	रिसेवाड़ा से सिंगोला रोड के दोनो ओर	8.300 कि.मी.	5682820/–

1 कार्य का संपादन तकनीकी स्वीकृति के साथ संलग्न प्राक्कलन एवं मानचित्र में दर्शित तकनीकी मापदण्डों के अनुसार कराया जावें।
2 स्वीकृत प्रोजेक्ट रिर्पोट राशि का व्यय स्वीकृत नार्मस , जाबदर एवं उपलब्ध बजट आवंटन तक सीमित रहेगा। उपरोक्त कार्य के संपादन के पूर्व कार्य आयोजना में निहित प्रावधानों का भली–भांति अवलोकन किया जाये, किसी भी परिस्थिति में कार्य आयोजना से विचलन होने पर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बगैर कार्य का संपादन न कराया जाये।
3 उपरोक्त कार्य **CAF Rules** 2018 के नियमों का पालन करते हुये किया जाना सुनिश्चित करें।
4 कय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाये।
5 वृक्षारोपण पंजी, माप पुस्तिका (M.B.) आदि अभिलेख विधिवत संधारित किये जाये।
6 कैम्पा विंग के समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।
7 स्वीकृत पंजी पृष्ठ क्रमांक .... अ.क्र. .... इन्द्राज किया गया।

(ए.पी.एस.सेंगर)
भा.व.से.
मुख्य वनसंरक्षक
वनवृत्त बालाघाट म.प्र.

पृष्ठा. क्रमांक/1613 बालाघाट, दिनांक 28/03/2025

प्रतिलिपि :– वनमंडलाधिकारी दक्षिण सामान्य वनमंडल बालाघाट की ओर उनके पत्र क्रमांक/व्यय.आ./457 दिनांक 27.03.2025 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

मुख्य वनसंरक्षक
वनवृत्त बालाघाट म.प्र.

कार्यालय वनमंडल अधिकारी दक्षिण वनमंडल बालाघाट
क्र. 783
02/04/2025

Scanned with OKEN Scanner

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग भोपाल

प्रोजेक्ट रिपोर्ट

कार्य का नाम	–	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWEA) के अंतर्गत वन परिक्षेत्र पश्चिम लांजी (सा.) में प्रस्तावित मार्ग कान्द्रीकला से कट्टीपार तक मार्ग की एवज में वृक्षांरोपण कार्य
लम्बाई	–	8.300 कि.मी.
योजना अवधि	–	वर्ष 2025–26 से 2035–36 (11 वर्षीय योजना)
लागत	–	5682820 /-लाख रूपये

वन परिक्षेत्र पश्चिम लांजी सामान्य
दक्षिण सामान्य वनमंडल बालाघाट (म0प्र0)

Scanned with OKEN Scanner

RISEWADA TO SINGOLA ROADSIDE PLANTATION PROJECT

बालाघाटा जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वन परिक्षेत्र पश्चिम लांजी सा. दक्षिण सामान्य वनमंडल बालाघाट के अंतर्गत कान्द्रीकला से कट्टीपार तक मार्ग निर्माण लंबाई 8.300 कि.मी. हेतु रिसेवाड़ा से सिंगोला (लोक निमार्ण विभाग) 8.300 कि.मी. लम्बाई पर सड़क किनारे वृक्षारोपण योजना म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र.1 बालाघाट जिला बालाघाट म.प्र. के अधिकारियों से चर्चा उपरान्त तैयार की गई है। जिसमें व्यय का प्रावधान संबंधित अधिकारियों से चर्चा उपरान्त रखा गया है। वृक्षारोपण से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है :-

A. Project Details:-

1. **Name of Department**

   मध्य प्रदेश वन विभाग भोपाल

2. **Project Implementation Divison of Govemment Department**

   दक्षिण सा. वनमंडल बालाघाट प्रदेश वन विभाग भोपाल

3. **Objective of the project Zone**

   प्रस्तावित वृक्षारोपण का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन ग्रीन कोरिडोर का निर्माण करना, जिसमें शोभादार,छायादार,फलदार,पौधों के साथ–साथ औषधीय पौधों को लगाकर, पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित करना एवं ग्रामिणों की आय के अवसर उपलब्ध कराना ।

4. **Proposed Road**

   लोक निर्माण विभाग (PWD) रिसेवाडा से सिंगोला मार्ग

5. **Name of Agency**

   म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र.1 बालाघाट जिला बालाघाट

6. **Length of Road**

   8.300 कि.मी

7. **Total Estimated Project Cost (Lakhs)**

   योजना की कुल लागत – **5682820 /-**

   औसत व्यय प्रति कि.मी. – **684677 /-**

   प्रति पौधा व्यय – **2739 /-**

8. **Expected Employment to be Generated (Mandays)**

   10971 मानव दिवस

Scanned with OKEN Scanner

B. Site Specific Detail Project (DPR) the Schedule of activities enclosed for reference in project preparation as annexure-1

प्रस्तावित वृक्षारोपण की 11 वर्षीय योजना रिपोर्ट संलग्न है।

9. Name Average width available for Avenue Plantation

प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र में मार्ग के दोनो ओर एक पक्ति में 3–3 मीटर का क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध है । जिसमें एक पक्ति में 4mt X 4mt के अंतराल में 8.300 KM मार्ग पर 2075 पौधो का रोपण प्रस्तावित किया गया है।

10. Approximate Area for Median Plantation (Hectares)

3.320 Hectares

11. Type of Soil

प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र की मृदा रेतीली दोमट एवं कुछ स्थल पर मुरूमी मिट्‌टी है।

12. Species Planned for Avenue plantation

गुलमोहर, कचनार,सामिया,पेल्टाफार्म,करंज,अमलतास

13. Total number of Plants in Project

प्रति कि.मी. 250 पौधे (दोनों ओर एक–एक पंक्तियों में) इस प्रकार 8.300 कि.मी. में कुल 2075 पौधे रोपित किये जावेगें ।

14. Sustainable Harvesting

प्रस्तावित योजना के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त वृक्षारोपण संबंधित संस्था को हस्तांतरित कर दिया जावेगा।

15. Planting Materials

प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र में कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक कक्ष – अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र कमांक 2857 भोपाल दिनांक 06.11.2018 के निर्देशानुसार मानकीकरण युक्त स्वस्थ पौधो का रोपण किया जावेगा।

16. Pesticide/Insecticide/Fungicide

प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र में गड्‌ढों की खुदाई उपरान्त गड्‌ढों में उपजाऊ मिट्‌टी एवं बी.एस.सी./क्लोरो पायरीफास का उपयोग किया जावेगा तथा निंदाई के साथ क्लोरो पायरीफास/ साइफर मेथिन का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जावेगा।

Scanned with OKEN Scanner

17. Manure/compost/Fertilizer

प्रस्तावित योजना के वृक्षारोपण का कुछ क्षेत्र मुरमीला होने से गड्ढों में उपलब्ध मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी नही होने के कारण पौधों की त्वरित वृद्धि हेतु पृथक से गड्ढे के आयतन का 30 प्रतिशत उपजाऊ काली मिट्टी से तथा 15 प्रतिशत कम्पोस्ट खाद में अच्छी तरह से मिलाकर भराव करने एवं रासायनिक एवं जैविक खाद पौधा रोपण एवं निंदाई के साथ डालने का प्रावधान योजना में किया गया है ।

18. Irrigation Methodology

सिंचाई का प्रावधान समय – समय पर किया गया है।

19. Plantation protection

प्रस्तावित वृक्षारोपण में पौधों की सुरक्षा एवं समुचित वृद्धि हेतु प्रतिपौधा (ईट,रेत,सीमेंट से बने) Treeguard लगाकर पौधो की सुरक्षा का प्रावधान योजना में किया गया है। तथा वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु एक सुरक्षा श्रमिक का प्रावधान भी योजना में किया गया है। प्रति पौधा Treeguard हेतु गणना पत्रक संलग्न है।

Involvement of NGO/SHG/Gram Panchayat etc.

प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना विभागीय होने से क्षेत्र के समीपस्थ ग्रामों की वन सुरक्षा समिति को योजना से लाभान्वित करने के लिये समिति सदस्यों को रोजगार उपलब्ध कराया जावेगा।

20. Availability and source of Labour to be engaged

प्रस्तावित वृक्षारोपण मार्ग ग्रामीण क्षेत्र से होकर गुजरने के कारण समीपस्थ ग्रामों के श्रमिक कार्य हेतु उपलब्ध हो सकेगें।

C. Post Project Plan

22. Plan for fruit/flower/other forest products harvest from plantation

योजना में मार्ग की सुंदरता एवं हरियाली के लिये शोभादार, छायादार वृक्षों के साथ–साथ फलदार एवं औषधीय पौधों का रोपण कार्य किया जावेगा। जो कि ग्रामीणों द्वारा उपयोग में लाये जायेगें।

23. Potential Beneficiaries-Community/SHG/forest products Entrprise

प्रस्तावित वृक्षारोपण का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन ग्रीन कोरिडोर का निर्माण करना, जिसमें फलदार पौधों के साथ–साथ औषधीय पौधों को लगाकर भविष्य में ग्रामीणों को वृक्षों से आय के अवसर उपलब्ध करना।

Scanned with OKEN Scanner

30. Expected Income for local Community/VFCs/SHGs and NHAI

प्रस्तावित योजना में मार्ग किनारे पौधों का रोपण किया जावेगा, जिसमें फलदार एवं औषधीय पौधे सम्मिलित हैं, उनसे भविष्य में ग्रामीणों को वृक्षों से आय के साधन उपलब्ध हो सकेंगें।

D. Innovation or Salient feature of project proposal

31. Brief of innovation approach in planting, pitting, fancing, Irrigation, weeding, maintenance etc.

प्रस्तावित योजना का मुख्य उद्देश्य दीर्घ कालीन ग्रीन कोरिडोर के साथ–साथ मार्ग की सुंदरता बढ़ाना पर्यावरणीय प्रदुषण को कम करना तथा समीपस्थ ग्रामों के ग्रामीणों को योजना के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध करना है, जिसमें वृक्षारोपण की 11 वर्षीय योजना में ग्रामीणों को 11 वर्ष तक रोजगार उपलब्ध हो सकेगा तथा भविष्य में फलदार एवं औषधीय वृक्षों से आय के अवसर उपलब्ध हो सकेगे।

प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र में रिक्त स्थानों पर समान अंतराल पर 0.45x0.45x0.45 मी. आकार के गड्ढे खोदकर उसमें उपजाऊ मिट्टी, वर्मीकम्पोस्ट, रासायनिक खाद एवं कीटनाशक का उपयोग कर वृक्षारोपण की सफलता सुनिश्चित करना।

रोपण की सफलता एवं पौधो की सुरक्षा हेतु Treeguard का उपयोग कर पौधो की सुरक्षा की जावेगी। प्रति पौधा Treeguard हेतु गणना पत्रक संलग्न है।

पौधों की त्वरित वृद्धि हेतु रोपण क्षेत्र के समीपस्थ स्थित तालाब, कुओं से सिरबोझ द्वारा पानी लाकर सिंचाई करना।

पौधों के वृद्धि हेतु अनुपयोगी घास एवं खरपतवार को अलग कर चारो ओर 01 मीटर व्यास में निंदाई एवं गुड़ाई करना तथा 01 मीटर चौड़ी पट्टी में घास की सफाई एवं छिलाई कर गर्मी में पौधों की आग से सुरक्षा करना।

पौधों की सुरक्षा एवं देखरेख हेतु एक सुरक्षा श्रमिक का प्रावधान किया गया है, श्रमायुक्त की मजदुरी दर में वृद्धि होन पर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत मजदुर दर में वृद्धि के साथ योजना तैयार कि गई है। आवश्यकतानुसार खाद, कीटनाशक का उपयोग एवं सतत् निगरानी, अनुश्रवण एवं मुल्याकन के साथ योजना अवधि के बाद वृक्षारोपण को उत्तम गुणवत्ता के साथ अच्छी स्थिति में संबंधित संस्था को हस्तांतरित करना।

————XXX————

Scanned with OKEN Scanner

भाग – 2
(प्रमाण पत्र)

बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWEA) के अन्तर्गत वन परिक्षेत्र पश्चिम लांजी (सा.) में प्रस्तावित मार्ग कान्द्रीकला से कट्टीपार मार्ग निर्माण लंबाई 8.300 कि.मी. प्रभावित रकबा 7.470 हेक्टेयर हेतू वनभूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव क्रमांक–(FP/MP/155493/2022) में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र कमांक/6-MPR19/20233-BHO दिनांक 05.11.2024 के द्वारा जारी सैद्वांतिक स्वीकृत में अधिरोपित शर्त (A) 8 (A road side plantation scheme shall be submitted. The requisite amount shall be deposited in CAMPA fund by the user Agency.) के पालन में मार्ग किनारे रोपण योजना के पालन में पश्चिम लांजी (सा.) वन परिक्षेत्र अन्तर्गत प्रधामनंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) की रिसेवाड़ा से सिंगोला रोड़ के दोनो ओर 08.300 कि.मी. में रोड साईड प्लांटेशन स्कीम।मेरे द्वारा निरीक्षण एवं सत्यापन किया गया है, एवं निरीक्षण के समय प्रस्तावित प्रस्ताव में उल्लेखित उपरोक्तानुसार जानकारी सही पाई गई। प्रस्तावित क्षेत्र उपचार कार्य/वृक्षारोपण के योग्य है, तथा प्रोजेक्ट रिपोर्ट का परीक्षण किया गया, तकनीकी स्वीकृति योग्य है।

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण दिनांक – 22.03.25

उपवनमंडलाधिकारी
लांजी (सा.) उपवनमंडल

निरीक्षण दिनांक – 15/3/25

वन परिक्षेत्र अधिकारी
पश्चिम लांजी (सा.) परिक्षेत्र

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण (सा0) वनमंडल बालाघाट

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक/.................. दिनांक .... द्वारा जारी की गई है।

वनसंरक्षक
बालाघाट वनवृत्त (म0प्र0)

Scanned with OKEN Scanner

रोड साईड प्लांटेशन स्कीम

Patch no.	Piller no.	Length on LHS	Length on RHS	Total length in meters
1	0-1	539	557	1096
2	1-2	706	716	1422
3	2-3	578	563	1141
4	3-4	198	190	388
5	4-5	236	245	481
6	5-6	337	339	676
7	6-7	60	58	118
8	7-8	1003	958	1961
9	8-9	294	297	591
10	9-10	213	213	426
Total length		4164	4136	8300

वन परिक्षेत्र अधिकारी
पश्चिम लांजी खा

Scanned with OKEN Scanner

...ाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWEA) के अन्तर्गत वन परिक्षेत्र पश्चिम लांजी (सा.) में प्रस्तावित मार्ग ...कला से कट्टीपार मार्ग निर्माण लंबाई 8.300 कि.मी. प्रभावित रकबा 7.470 हेक्टेयर हेतू वनभूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव क्रमांक– ...MP/155493/2022) में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक/6-...PR019/2023-BHO दिनांक 05.11.2024 के द्वारा जारी सैद्वांतिक स्वीकृत में अधिरोपित शर्त (A) 8 (A road side plantation ...cheme shall be submitted. The requisite amount shall be deposited in CAMPA fund by the user Agency) के पालन में मार्ग किनारे रोपण योजना के पालन में पश्चिम लांजी (सा.) वन परिक्षेत्र अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) की रिसेवाड़ा से सिंगोला रोड़ के दोनो ओर 08.300 कि.मी. में रोड साईड प्लांटेशन स्कीम।

वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित मार्ग का नाम – रिसेवाड़ा से सिंगोला रोड (लोक निर्माण विभाग)

वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित मार्ग की लम्बाई – 8.300 कि.मी.

असिंचित

क्षेत्र तैयारी वर्ष 2025–26

(योजना का प्रथम वर्ष 2025–2026)

मजदूरी दर– 456/–

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	सर्वे एवं सीमांकन हे0	3.320	हेक्टेयर	0.45	प्रति हे0	1.49	681
2	क्षेत्र सफाई (हे0)	3.320	हेक्टेयर	4.00	प्रति हे0	13	6056
3	गड्ढ़ा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट	2075	गड्डे	2.5	प्रति हजार	5	2366
4	रोपण हेतु गडढ़ा खोदाई संख्या 45x45x45 cm.	2075	गड्डे	5	प्रति सैकड़ा	104	47310
5	गड्ढ़ों में मिट्टी बदलने हेतु क्रय आयतन का 30 प्रतिशत	62	घ0मी0	1.5	प्रति घ0मी0	93	42408
7	उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं आर्गेनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गडढ़ों में डालना	2075	गड्डे	1.5	प्रति सैकड़ा	31	14193
8	अन्य व्यय (चुना, पेंट, बोर्ड, जैविक खाद, फिक्स्ड कैमरा बैटरी एवं मेमोरी सहित क्रय इत्यादि)	LS				400	182400
	योग					648	295413

उपवनमण्डल अधिकारी
लांजी (सा.) उपवनमण्डल

वन परिक्षेत्र अधिकारी
पश्चिम लांजी (सा.)

Scanned with OKEN Scanner

योजना का द्वितीय वर्ष 2026–27
(वृक्षारोपण वर्ष 2026–27)

मजदूरी दर–492/–

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	रोपणी कार्य						
	प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या	2075	पौधे	0.04	पौधा	74	36201
	मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 20 प्रतिशत	415	पौधे	0.04	पौधा	15	7240
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	2490	पौधे	1.50	सैकड़ा	37	18376
	सिर बोझ द्वारा 1 कि0मी0	2490	पौधे	0.40	सैकड़ा	10	4900
3	रोपण 45x45x45 cm.	2075	गड्डे	1.80	सैकड़ा	37	18376
4	पौधों की सुरक्षा हेतु रोपित पौधों के चारो ओर से ईट,रेत,सीमेंट से बने ट्रिगार्ड (उचाई 3 फीट) से सुरक्षित करना	2075	LS			6651	3272275
5	पौधों में प्रथम	2075	पौधे	1.25	सैकड़ा	26	12761
	पौधों में द्वितीय निंदाई	2075	पौधे	1.00	सैकड़ा	21	10209
7	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	2075		0.60	सैकड़ा	12	6125
8	सुरक्षा 1 श्रमिक 9 माह	1	2x9			234	115128
9	सिंचाई कार्यः– रोपण पश्चात पौधो में ग्रीष्मकालीन सिंचाई 15 फरवरी से 31 मई तक आवश्यकतानुसार प्रति सप्ताह 02 सिंचाई कुल सिंचाई 30 प्रति पौधा कुल सिंचाई 2075X30 = 62250 की सिंचाई 1 कि.मी. तक सिरबोझ द्वारा पानी लाकर सिंचाई कार्य करना।	62250	पौधे	1.25	सैकड़ा	778	382838
9	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद क्रय, वर्मी कम्पोसट कय आदि)				Ls.	50	24600
					योगः–	7945	3909030

उपवनमण्डल अधिकारी
लांजी (सा.) उपवनमण्डल

वन परिक्षेत्र अधिकारी
पश्चिम लांजी (सा.)

Scanned with OKEN Scanner

योजना का तृतीय वर्ष 2027–28 मजदूरी दर–532/–

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा. दि.)		कुल मानव दिवस	राशि
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	208	पौधे	0.035	पौधा	7	3924
	पौधों का परिवहन (संख्या)						
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	208	पौधे	1.5	सैकड़ा	3	1660
	सिर बोझ द्वारा 1 कि0मी0	208	पौधे	0.4	सैकड़ा	1	443
2	पौधों में प्रथम निंदाई	2075	पौधे	1.25	सैकड़ा	26	13799
3	पौधों में द्वितीय निंदाई	2075	पौधे	1	सैकड़ा	21	11039
4	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	2075		0.6	सैकड़ा	12	6623
5	सुरक्षा 1 श्रमिक 12 माह	1	12 माह			312	165984
6	सिंचाई कार्य:– रोपण पश्चात पौधो में ग्रीष्मकालीन सिंचाई 15 फरवरी से 31 मई तक आवश्यकतानुसार प्रति सप्ताह 01 सिंचाई कुल सिंचाई 15 प्रति पौधा कुल सिंचाई 2075X15=31125 की सिंचाई 1 कि.मी. तक सिरबोझ द्वारा पानी लाकर सिंचाई कार्य करना।	31125	पौधे	1.25	सैकड़ा	389	206981
7	अन्य व्यय (ट्री गार्ड मरम्मत कार्य, कीटनाशक खाद क्रय आदि)				Ls.	50	26600
					योग:–	822	437053

उपवनमण्डल अधिकारी
लांजी (सा.) उपवनमण्डल

वन परिक्षेत्र अधिकारी,
लांजी सा

Scanned with OKEN Scanner

योजना का चतुर्थ वर्ष 2028–29 मजदूरी दर–574/–

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	पौधा कय (10 प्रतिशत पौधों के पुर्नरोपण हेतु)	208	पौधा	0.035	पौधा	7	4234
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	208	पौधा				
	सिर बोझ द्वारा 1 कि0मी0	208	पौधा	1.50	सैकड़ा	3	1791
3	पौधों में प्रथम निंदाई	2075	पौधा	0.40	सैकड़ा	1	478
4	पौधों में द्वितिय निंदाई	2075	पौधा	1.25	सैकड़ा	26	14888
5	सुरक्षा 1 श्रमिक 12 माह	1	12 माह	1	सैकड़ा	21	11911
6	अन्य व्यय (ट्री गार्ड मरम्मत कार्य, कीटनाशक खाद क्रय आदि)					312	179088
					LS	50	28700
					योग:–	420	241089

उपवनमण्डल अधिकारी
लांजी (सा.) उपवनमण्डल

वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र लांजी (सा.)

Scanned with OKEN Scanner

योजना का पंचम वर्ष 2029–30 मजदूरी दर–620/–

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई		
5	सुरक्षा 1 श्रमिक 12 माह	1	12 माह			312	193440
6	अन्य व्यय (ट्री गार्ड मरम्मत कार्य, कीटनाशक खाद क्रय आदि)	LS				25	15500
	योगः–					337	208940

असिंचित

योजना का षष्ठम वर्ष 2030–31 मजदूरी दर– 670/–

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई		
1	सुरक्षा 1 श्रमिक 12 माह	1	12 माह			312	209040
2	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद क्रय एवं ट्री गार्ड मरम्मत आदि)	LS				25	16750
	योगः–					337	225790

असिंचित

योजना का सप्तम वर्ष 2031–32 मजदूरी दर–724/–

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई		
1	सुरक्षा 1 श्रमिक 06 माह	1	06 माह		-	156	112944
2	अन्य व्यय (ट्री गार्ड मरम्मत इत्यादि)	LS				25	18100
	योगः–					181	131044

उपवनमण्डल अधिकारी
सांजी (सा.) उपवनमण्डल

वन परिक्षेत्र अधिकारी
पश्चिम सांजी (सा.)

Scanned with OKEN Scanner

असिंचित

योजना का अष्ठम वर्ष 2032–33

मजदूरी दर–781/–

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	सुरक्षा 1 श्रमिक 06 माह	1	06 माह			156	121836
2	अन्य व्यय (सुरक्षा एवं ट्री गार्ड मरम्मत इत्यादि)	LS				25	19525
	योग:–					181	141361

असिंचित

योजना का नवम वर्ष 2033–34

मजदूरी दर–844/–

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	सुरक्षा 1 श्रमिक 06 माह	1	06 माह			156	131664
2	अन्य व्यय (सुरक्षा एवं ट्री गार्ड मरम्मत इत्यादि)	LS				25	21100
	योग:–					25	21100

असिंचित

योजना का दशम वर्ष 2034–35

मजदूरी दर–912/–

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	सुरक्षा 1 श्रमिक 06 माह	1	06 माह			156	142272
2	अन्य व्यय (सुरक्षा एवं ट्री गार्ड मरम्मत इत्यादि)	LS				25	22800
	योग:–					25	22800

असिंचित

योजना का ग्यारवा वर्ष 2035–36

मजदूरी दर–984/–

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
2	अन्य व्यय (सुरक्षा एवं ट्री गार्ड मरम्मत इत्यादि)	LS				50	49200
	योग:–					50	49200

उपवनमण्डल अधिकारी
लांजी (सा.) उपवनमण्डल

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र लांजी (सा.)

Scanned with OKEN Scanner

जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWEA) के अन्तर्गत वन परिक्षेत्र पश्चिम लांजी (सा.) में प्रस्तावित कान्द्रीकला से मार्ग निर्माण लंबाई 8.300 कि.मी. प्रभावित रकबा 7.470 हेक्टेयर हेतू वनभूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव क्रमांक– (FP/MP/155493/2022) सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र कमांक/6-MPR019/2023-BHO दिनांक 05.11. के द्वारा जारी सैद्वांतिक स्वीकृत में अधिरोपित शर्त (A) 8 (A road side plantation scheme shall be submitted. The isite amount shall be deposited in CAMPA fund by the user Agency.) के पालन में मार्ग किनारे रोपण योजना के में पश्चिम लांजी (सा.) वन परिक्षेत्र अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) की रिसेयाड़ा से सिंगोला रोड़ के दोनो ओर 08. कि.मी. में रोड साईड प्लांटेशन स्कीम।

गोशवारा, आदर्श रोपण

वर्ष	कुल मानव दिवस	दर	राशि
प्रथम (2025–26)	648	456	295413
द्वितीय (2026–27)	7945	492	3909030
तृतीय (2027–28)	822	532	437053
चतुर्थ (2028–29)	420	574	241089
पंचम (2029–30)	337	620	208940
षष्ठम (2030–31)	337	670	225790
सप्तम (2031–32)	181	724	131044
अष्टम (2032–33)	181	781	141361
नवम (2033–34)	25	844	21100
दशम (2034–35)	25	912	22800
ग्यारवां (2035–36)	50	984	49200
कुल योग –	**10971**		**5682820**

ADD (+)	1. आस्थामूलक कार्य की राशि 5% प्रतिशत	0
	2. मानव संसाधन विकास की राशि 1% प्रतिशत	0
	3. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य की राशि 4% प्रतिशत	0
	कुल योग –	5682820
	4. पर्यवेक्षण शुल्क की राशि 10% प्रतिशत	0
	महायोग –	5682820

वनमण्डलाधिकारी
दक्षिण (सा.) बालाघाट वनमण्डल

उप वनमण्डलाधिकारी
लांजी (सा.) उपवनमण्डल

वन परिक्षेत्र अधिकारी
पश्चिम लांजी (सा.)

T.S.

Chief Conservator of Forest
Balaghat Circle (M.P.)

Scanned with OKEN Scanner

रोड साईड प्लांटेशन स्कीम (रकबा 8.300 कि.मी.) — वन परिक्षेत्र पश्चिम सा. परिक्षेत्र

Yearwise physical and financial target/ outlay Breakup

Item of work	Rate in Rs.	2025-26		2026-27		2027-28		2028-29		2029-30		2030-31		2031-32		2032-33		2033-34		2034-35		2035-36		Total
		Fhy.	Fin.	Fhy.	Fin.	Fhy.	Fin.	Fhy.	Fin.	Fhy.	Fin.	Fhy.	Fin.	Fhy.	Fin.	Fhy.	Fin.	Fhy.	Fin.	Fhy.	Fin.	Fhy.	Fin.	Fin.
a) Advance work	456	0.39	295413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295413
b) Creation-II Year	492	0	0	0.39	3909030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3909030
c) Maintaenance-III Year	532	0	0	0	0	0.39	437053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437053
IV Year	574	0	0	0	0	0	0	0.39	241089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241089
V Year	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0.39	208940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208940
VI Year	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.39	225790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225790
VII Year	724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.39	131044	0	0	0	0	0	0	0	0	131044
VIII Year	781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.39	141361	0	0	0	0	0	0	141361
IX Year	844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.39	21100	0	0	0	0	21100
X Year	912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.39	22800	0	0	22800
XI Year	984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.39	49200	49200
Total-		0.39	295413.44	0.39	3909030	0.39	437053	0.39	241089	0.39	208940	0.39	225790	0.39	131044	0.39	141361	0.39	21100	0.39	22800	0.39	49200	5682820.1

ADD (+)	1. आस्थामूलक कार्य की राशि 5% प्रतिशत	0
	2. मानव संसाधन विकास की राशि 1% प्रतिशत	0
	3. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य की राशि 4%	0
	कुल योग :—	5682820
	4. पर्यवेक्षण शुल्क की राशि 10% प्रतिशत	0
	महायोग :—	5682820

वनमण्डलाधिकारी
दक्षिण (सा.) बालाघाट वनमण्डल

उप वनमण्डलाधिकारी
लांजी (सा.) उपवनमण्डल

वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र पश्चिम (सा.) परिक्षेत्र

Scanned with OKEN Scanner

कार्यवाही प्रोसीडिंग फार्म

समिति का नाम :– वन सुरक्षा समिति टिमकीटोला परिक्षेत्र का नाम :– पूर्व लांजी (सा.) वनमण्डल :– दक्षिण बालाघाट वनमण्डल बालाघाट जिला :– बालाघाट माह जनवरी वर्ष 2025

तारीख	उपस्थित सदस्यों का नाम	बैठक में किया गया कार्य — विषय	बैठक में किया गया कार्य — संक्षेप में की गई कार्यवाही	पास हुए प्रस्ताव	अध्यक्ष एवं सदस्य के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
31/01/2025	① श्री कृष्णकुमार परकटे (अध्यक्ष)	बीट टिमकीटोला के अंतर्गत आने वाली समिति वन सुरक्षा स. से विषय रखा गया कि बालाघाट जिले के नक्सली प्रभावित क्षेत्र लांजी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क (RCPLWD) के अंतर्गत सड़क दो साईड वृक्षारोपण कार्य करने के संबंध में।	आज दिनाँक 31/01/2025 को वन सुरक्षा समिति टिमकीटोला की बैठक का आयोजन किया बैठक में उपस्थित सभी अध्यक्ष/सदस्य गण बैठक में विषय रखा गया कि बीट टिमकीटोला के अंतर्गत राजस्व क्षेत्र से बालाघाट जिले में नक्सल प्रभावित क्षेत्र प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWD) के अंतर्गत वन परिक्षेत्र पश्चिम लांजी (सा.) में प्रस्तावित सड़क सीतापाला, टाटिकल किमी 0.05 से 10.2 से कटीपार कला सड़क के किमी 10 km एवं किमी 0.05 एवं 10.2 से कटीपार कला सड़क के दोनों किनारों में वृक्षारोपण हेतु लांजी से रिसेवाड़ा से बहेला वृक्षारोपण किया जाना है। यह विषय रखा गया कि बैठक में सभी सदस्य गणों समक्ष विषय पर विचार विमर्श किया, उपरांत इस विषय पर यह निर्णय लिया कि रिसेवाड़ा तक वृक्षारोपण रोड़ के किनारों में वृक्ष की सहमति प्रदाय किया जाता है।	प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया।	[signature]
	② श्रीमती कविता/योगेश मड़ावी (उपाध्यक्ष)				कविता/मड़ावी
	③ श्री मुनिराम/अमरलाल (सदस्य)				मुनिराम
	④ " राजकुमार/रेहलाल (—॥—)				राजकुमार
	⑤ " जयसिंग/मेहतलाल (—॥—)				जयसिंग
	⑥ " नरसिंह/सुंदरलाल (—॥—)				नरसिंह
	⑦ " गोरेलाल/छबिया (—॥—)				गोरेलाल
	⑧ श्रीमती कौशिका/बोलाल (—॥—)		यह प्रस्ताव को सभी समिति सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया।		कौशिका

[signature]
सचिव
सचिव
वन सुरक्षा समिति

[signature]
वन परिक्षेत्र अधिकारी
पश्चिम लांजी सा.

[signature]
परिक्षेत्र सहायक
रिसेवाड़ा

[signature]
अध्यक्ष
वन सुरक्षा समिति
टिमकीटोला

Scanned with OKEN Scanner

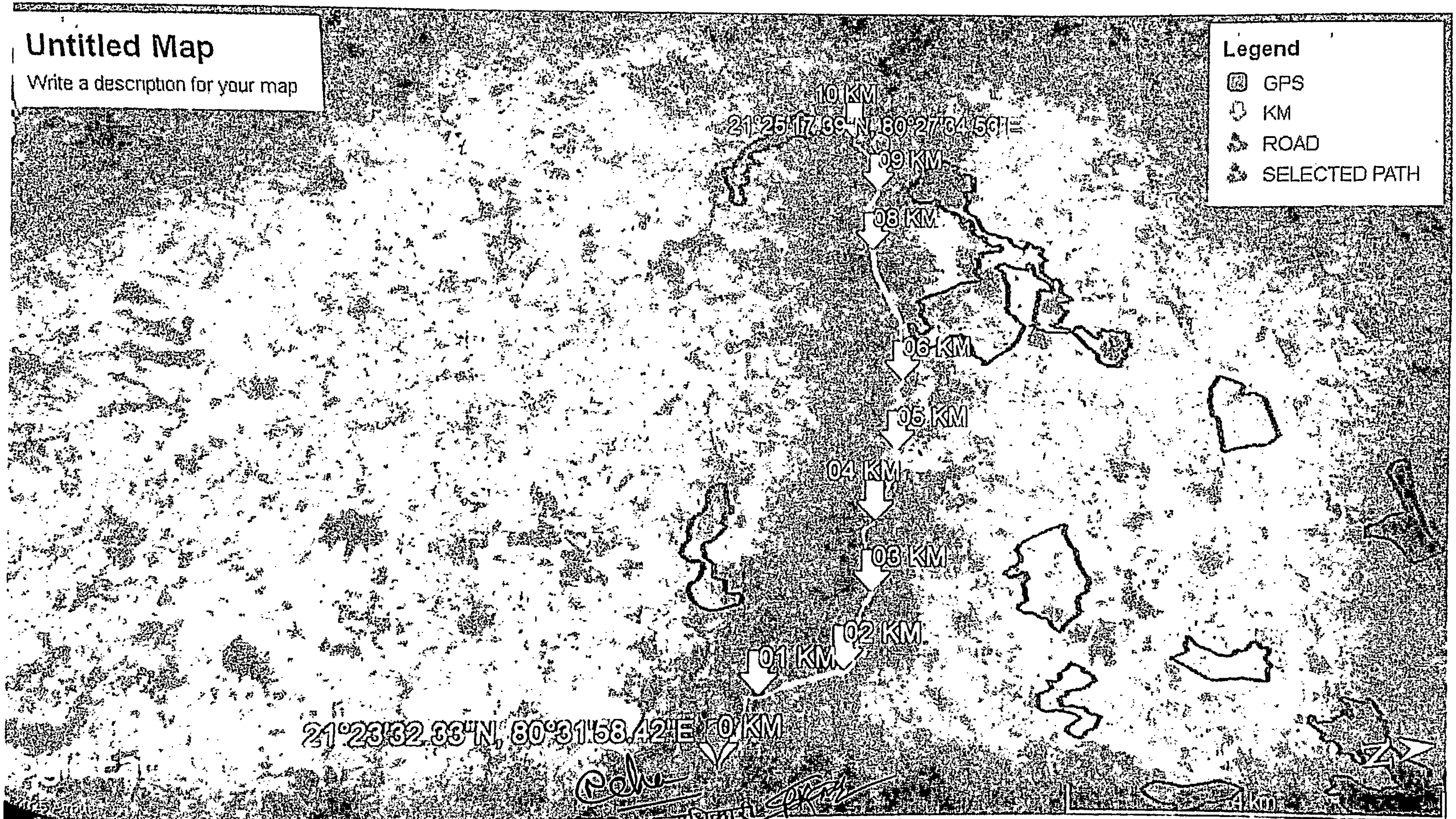

वन परिक्षेत्र अधिकारी
पश्चिम लांजी सा.

परिक्षेत्र सहायक
बहेला

Scanned with OKEN Scanner

DETAIL ESTIMATE FOR CONSTRUCTION OF TREE.GARD
PWD. S.O.R. 2023

S.N	S.O.R ITEM	ITEM OF WORK	MEAGARMENT	QTY.	UNIT	RATE	AMMUNT
1	2.6.1	Earth work in excavation by mechanical means (Hydralic excavator)/manual means over areas (exceeding 30 cm in depth 1.5 m in width as well as 10 sqm on plan) including disposal of eccavated earth lead upto 50 m and lift upto 1.5m disposed earth to be levelled and neatly dressed.					
			4.00nosX1.50X0.30X	0.54			
		Total Qty.		0.54	cu.m.	129.00	69.66
5	6.3.1	Brick work with well burnt open bhatta bricks crushing strength not less then 25kg/sqm. And watter absorption not more then 20% in foundation and plinth					
			4.0nosX0.80X0.70	2.88			
		Total Qty.		2.24	SQM	673.00	1507.52
				Total Amt.			1577.18

Er. REVANT KAMTEKAR
REG. NO. ABIJ...
DATE 22/03/2025
...NAGAR PANCHAYAT

Scanned with OKEN Scanner

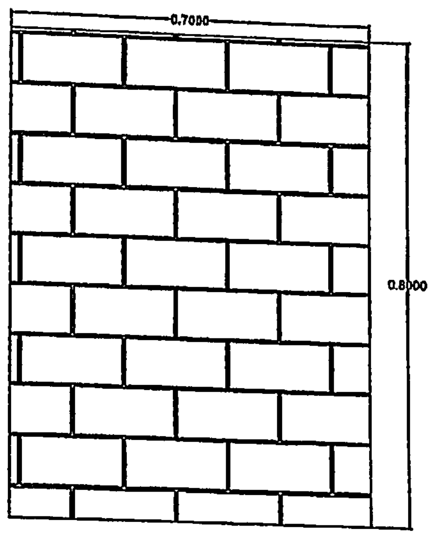

TREE GARD

Er. KEVANT RAMTEKE
REG NO. ABHAS/...
DATE 22/03/2025
REGHNAGAR PANCHAYT

Scanned with OKEN Scanner

रोड साईड प्लांटेशन स्कीम

Patch no.	Piller no.	Length on LHS	Length on RHS	Total length in meters
1	0-1	539	557	1096
2	1-2	706	716	1422
3	2-3	578	563	1141
4	3-4	198	190	388
5	4-5	236	245	481
6	5-6	337	339	676
7	6-7	60	58	118
8	7-8	1003	958	1961
9	8-9	294	297	591
10	9-10	213	213	426
Total length		4164	4136	8300

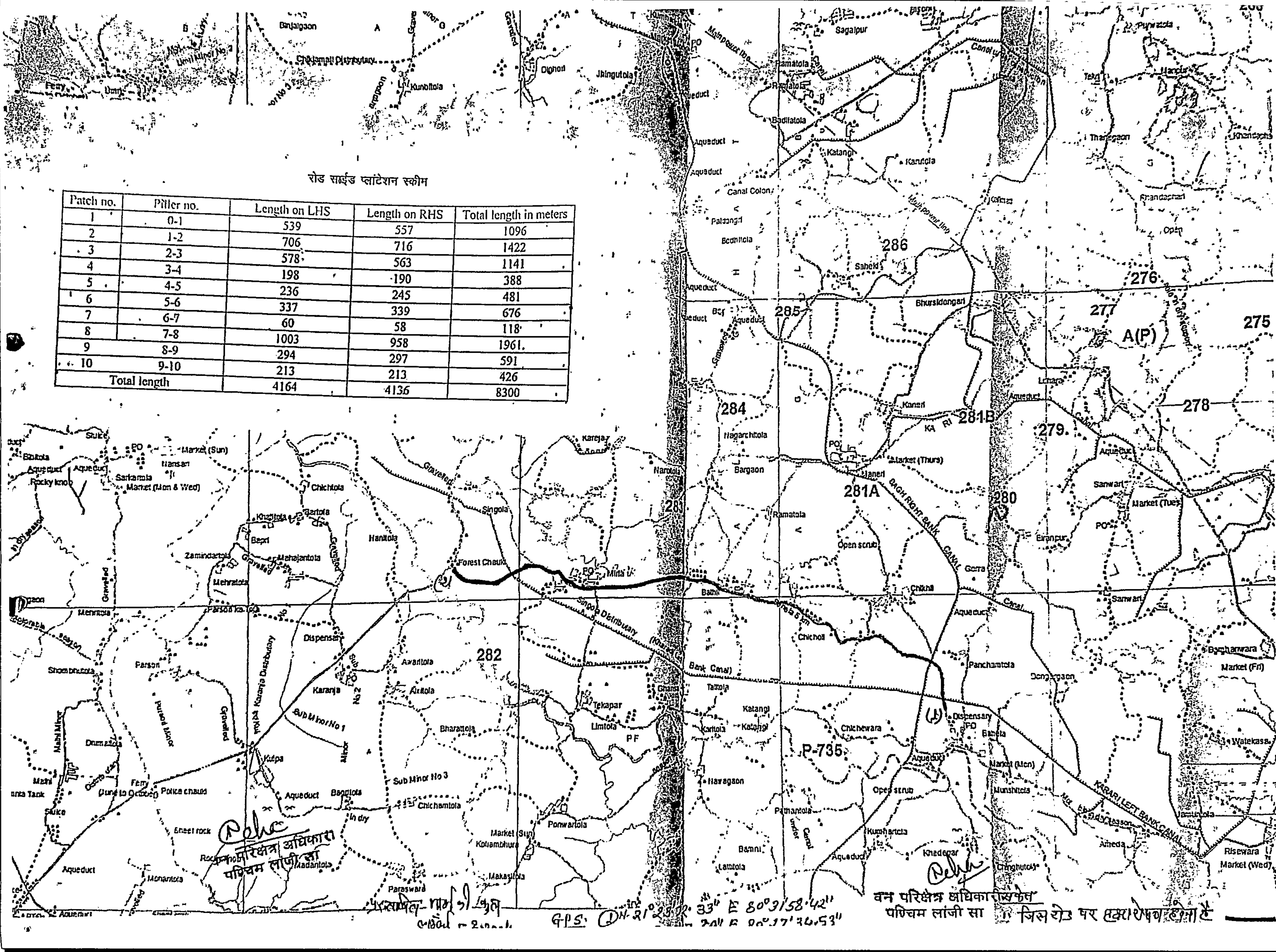

e-Green Watch

FCA Projects, Diverted Land, CA Land Management

INFORMATION

SUCCESS: The FCA project has been Registered sucessfully. You can now edit the project details and lock for ID:55482

Project Name : **Construction of road from Kandrikala to Kattipar Road under RCPLWEA scheme**   Year : **2024**

- To Register a new FCA Project, please click here [Register a New FCA Project]
- To Edit details of Existing FCA Project, Please click here [Edit the Existing FCA Project Details]
- To Lock the Details of FCA Project, Please click here [Lock FCA Projects]
- [Add CA Land / Site Details to the Project] Please click here to add the CA Site/Land Details to the Project.